



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्येष्ठ 2, 1939

No. 395]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

सा.का.नि. 493(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (मत्स्यालय और मत्स्य टैंक पशु दुकान) नियम, 2016 का प्रारूप भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 162(अ), तारीख 22 फरवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 22 फरवरी, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (मत्स्यालय और मत्स्य टैंक पशु दुकान) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) “मत्स्यालय” से कोई सुविधा या स्थापन, जहां मत्स्य टैंक पशु प्रदर्शित किए जाते हैं, अभिप्रेत हैं ;

- (ग) “मत्स्यालय ऑपरेटर” से कोई व्यक्ति जिसका मत्स्यालय के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण है, अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत –
- (i) किसी फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम की दशा में, उसका कोई भागीदार या सदस्य;
 - (ii) किसी कंपनी की दशा में कोई निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जो मत्स्यालय के कार्यों के लिए कंपनी के भारसाधन में और उत्तरदायी है; या
 - (iii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन मत्स्यालय या किसी न्यास या सोसायटी जो केंद्रीय सरकार या राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्त पोषित हो, की दशा में, यथास्थिति उस सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग का सचिव है ;
- (घ) “मत्स्य कटोरा” से जीवित मछली को रखने के लिए कोई कटोरा अभिप्रेत है;
- (ङ.) “मत्स्य विशेषज्ञ” से कोई व्यक्ति जिसमें किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य ज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य प्राप्त की है, अभिप्रेत है;
- (च) “मत्स्य दुकान” से कोई दुकान, स्थान या परिसर, जहां मत्स्य टैंक पशु पाले, रखे या व्यापार के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, या फिश टैंक पशुओं के व्यापार से अंतर्वलित कोई कारबार और इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं जिस पर मत्स्य टैंक पशुओं का व्यापार किया जाता है ।
- (छ) “मत्स्य टैंक” से मत्स्य टैंक पशुओं को रखने के लिए कोई पात्र, भंडारण टैंक, बैसल अभिप्रेत है;
- (ज) “मत्स्य टैंक पशु” से कोई जीवित मछली या अन्य जीवित जलीय पशु अभिप्रेत है;
- (झ) “मत्स्य दुकान स्वामी” से कोई व्यक्ति जो किसी मत्स्य दुकान का स्वामी है या उसका प्रबंधकर्ता है अभिप्रेत है;
- (ञ) “प्ररूप” से पहली अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ट) “निरीक्षक” से राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी मत्स्य दुकान या मत्स्यालय के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ठ) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ड) “राज्य बोर्ड” से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ढ) “कुल मत्स्य लंबाई” से कॉडल टेल को छोड़ते हुए, किसी पूर्ण विकसित व्यस्क मछली की लंबाई पर परिकलित टैंक में सभी मछलियों की लंबाई का योग अभिप्रेत है ।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. विनाशक मत्स्य प्रथाएं – कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान विनाशक मत्स्य प्रथाओं, जिसके अंतर्गत-

- (i) स्तही महाजाल से मछली पकड़ना;
- (ii) साइनाइड फिशिंग;
- (iii) मछली को मारने या अचेत करने के लिए विस्फोटकों या डाइनामाइट का उपयोग करना;
- (iv) कराल रीफ से जाल में पकड़ी गई; या
- (v) किसी संरक्षित क्षेत्र से जाल में कड़ी गई है,

द्वारा पकड़े गए मत्स्य टैंक पशुओं का स्रोत नहीं बनेगा ।

भाग 2

मत्स्यालय

4. प्रदर्शन का प्रतिषेध – (1) राज्य पशु कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्यालय कार्य नहीं करेगा ।
- (2) कोई मत्स्यालय निम्नलिखित को नहीं रखेगा, नहीं पालेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा, -

(क) किसी कैटेथियन, पेंग्विन, ऑटर, मेनेटीस, सीटरटल और समुद्री टरटल, कृत्रिम रूप से रंगी गई मछली, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का 53 में सूचीबद्ध मत्स्य टैंक पशुओं की कोई प्रजाति या कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पेशिज़ के परिशिष्ट 1 के अधीन सूचीबद्ध कोई प्रजाति ; या

(ख) दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कोई प्रजाति ।

(3) कोई मत्स्यालय मत्स्य टैंक पशुओं से अन्यथा पशुओं को नहीं रखेगा, नहीं पालेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा ।

5. विद्यमान मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन – (1) मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नियम 8 के उपबध्नों के अनुसार राज्य बोर्ड को किया जाएगा :

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व विद्यमान सभी मत्स्यालय इन नियमों के अनुसार ऐसे प्रारंभ से छह मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेंगे ।

परंतु यदि कोई विद्यमान मत्स्यालय उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान्यता अभिप्राप्त करने में विफल रहता है तो मत्स्यालय कार्य करना बंद करेगा ।

(3) यदि विद्यमान मत्स्यालय की अभिरक्षा में कोई प्रतिषिद्ध प्रजाति जैसे नियम 4 के अधीन है, तो –

(क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संरक्षित प्रजातियों की दशा में, वन विभाग उसकी अभिरक्षा लेगा;

(ख) अन्य प्रतिषिद्ध प्रजातियों की दशा में वे किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपी जाएगी ;

6. नए मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन – (1) जब कोई मत्स्यालय ऑपरेटर कोई मत्स्यालय स्थापित करना चाहता है तो वह किसी उपयुक्त स्थान की पहचान करेगा और नियम 7 के अनुसार महायोजना विकसित करेगा ।

(2) मत्स्यालय ऑपरेटर निर्माण से पूर्व महायोजना को राज्य बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) राज्य बोर्ड महायोजना को अनुमोदन प्रदान कर सकेगा या और उपांतरण चाह सकेगा या प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा ।

(4) निर्माण पूरा होने पर राज्य बोर्ड, यह सुनिश्चित करेगा कि महायोजना में सूचीबद्ध सभी सुविधाएं इन नियमों की अपेक्षानुसार हैं ।

(5) राज्य बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हुए, इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जैसी वह उपयुक्त समझे ।

(6) मेलों या बाजारों या प्रदर्शनियों में, जहां स्थायी सुविधाओं का अभाव है, अस्थायी स्टाल में कोई मत्स्यालय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

7. विकास और योजना – (1) प्रत्येक मत्स्यालय राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्लूप्रिंट और संग्रहण योजना वाली महायोजना तैयार करेगा ।

(2) ऐसे मत्स्यालय जो इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवर्तन में हैं इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर महायोजना तैयार करेंगे और उसे राज्य बोर्ड से अनुमोदित कराएंगे ।

(3) उप नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट महायोजना जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ दस वर्ष की अवधि के लिए मत्स्यालय का समग्र विकास है और मत्स्य टैंक पशु प्रदर्शन क्षेत्र, आगंतुक सुविधाएं, मत्स्य टैंक पशु रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्थक और संरचना, प्रशासन और रखरखाव एकक के लिए भवन उपदर्शित करते हुए मत्स्यालय द्वारा अंगीकृत थीम के आधार पर तैयार विस्तृत ले आउट योजना सहित प्रत्येक पांच वर्ष में पुनरीक्षित की जाएगी ।

(4) प्रत्येक मत्स्यालय सभी “पक्का” भवनों, जिसके अंतर्गत आगंतुक सुविधाएं हैं, ऐसी रीति में पता लगाने और डिजाइन करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतेगा, जिससे कि मत्स्य टैंक पशु प्रदर्शन क्षेत्र आच्छादित न रहे और मत्स्यालय की सफाई और स्वच्छता प्रभावित न हो ।

(5) प्रत्येक मत्स्यालय, राज्य बोर्ड और स्थानीय मत्स्य विभाग के साथ परामर्श करके प्रजातियों के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण, प्रजातियों के उचित रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्थान और अवसंरचनात्मक सहयोग

की उपलब्धता तथा प्रजातियों के प्रबंधन में मत्स्यालय का पूर्व अभिलेख के लिए मत्स्यालय की शर्तों की अनुकूलता को सम्यक ध्यान देते हुए मत्स्यालय में रखे जाने, पालने या प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक प्रजाति के मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजाति के नाम और अधिकतम संख्या उपदर्शित करते हुए एक संग्रहण योजना तैयार करेगा।

- (6) कोई मत्स्यालय नई प्रजातियों को रखने के लिए या अपने संग्रहण में प्रजातियों के अतिरिक्त मत्स्य टैंक पशुओं के लिए मत्स्य टैंक पशुओं के आवास और रखरखाव मानकों पर समझौता नहीं करेगा।

8. **मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन हेतु फीस** – नियम 5 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के संबंध में संबंधित राज्य के “राज्य पशु कल्याण बोर्ड” के पक्ष में मानदेय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के माध्यम से पांच हजार रुपये की फीस संदत्त की जाएगी।

9. **मत्स्यालय रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज और विशिष्टियां** (1) नियम 5 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी और प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां और निम्नलिखित दस्तावेज भी अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-

(क) स्थानीय मत्स्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र; और

(ख) तटीय जोन में किसी मत्स्यालय की दशा में राष्ट्रीय तट प्रबंधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र।

10. **मत्स्यालय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना** – (1) राज्य बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक मत्स्यालय की सुविधा को राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि, एक मत्स्य विशेषज्ञ और स्थानीय प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि से समाविष्ट टीम द्वारा निरीक्षण करवाएगा और टीम सुविधा के निरीक्षण के पश्चात् राज्य बोर्ड को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) राज्य बोर्ड, का यह समाधान हो जाने पर कि मत्स्यालय इन नियमों के अनुरूप है, रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा।

(3) राज्य बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर निपटाएगा।

(4) राज्य बोर्ड मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करेगा, यदि –

(क) इन नियमों में दी गई अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती हैं; या

(ख) आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई गई हों या आवेदक ने आवेदन में तात्त्विक और जानबूझकर मिथ्या कथन किए हैं या राज्य बोर्ड को झूठे और जाली अभिलेख प्रदान किए; या

(ग) आवेदक को मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रक्रम पर अधिनियम या वन्यजीव वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(घ) आवेदक ने निरीक्षक या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि को अपनी सुविधाओं के लिए मुक्त और अबाधित पहुंच अनुज्ञात करने से इंकार किया है।

(5) जहां राज्य बोर्ड, मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड उसके लिए कारणों को लिखत में सूचित करेगा।

(6) राज्य बोर्ड सभी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालयों से अंतर्विष्ट रजिस्टर रखेगा।

(7) मत्स्यालय को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्

(क) रजिस्ट्रीकरण दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए होगा;

(ख) मत्स्यालय, मत्स्यालय के अनुरक्षण और रखरखाव के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा; और

(ग) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनंतरणीय होगा।

11. **जांच करने और मत्स्यालय से सूचना मांगने की शक्ति** – राज्य बोर्ड, इन नियमों के अधीन मत्स्यालय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ऐसी जांच कर सकेगा और आवेदक ऐसी और सूचना मांग सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
12. **रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण**-- (1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई मत्स्यालय रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप 2 में रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से नब्बे दिन पूर्व के भीतर राज्य बोर्ड को आवेदन करेगा।
(2) नियम 5,6,7,8 और 9 के उपबंध रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए लागू होते हैं।

13. साधारण अपेक्षाएं – (1) प्रत्येक मत्स्यालय शारीरिकतः, आनुवांशिकतः और व्यवहारिकतः स्वस्थ मत्स्य टैंक पशुओं की जनसंख्या बनाए रखेगा।

(2) प्रत्येक मत्स्यालय उचित अवसंरचना के माध्यम से राज्य बोर्ड द्वारा जारी निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में समुचित आवास प्रदान करेगा और मत्स्य टैंक पशुओं के लिए नैसर्गिक पर्यावरण प्रदान करेगा।

(3) प्रत्येक मत्स्यालय आगंतुकों के संचालन को ऐसी रीति में विनियमित करेगा, जिससे कि मत्स्य टैंक पशु असम्यक रूप से उत्तेजित, तंग या उकसाए न जाए तथा मत्स्यालय सप्ताह कम से कम एक दिन बंद रखा जाएगा।

(4) प्रत्येक मत्स्यालय, अनियमित आगंतुकों की पहुंच और उकसाए और चुराए जाने वाले मत्स्य टैंक पशुओं के विरुद्ध रक्षोपाय के रूप में मत्स्य टैंकों के साथ-साथ समुचित रोक डिजाइन करेगा और आगंतुकों को मत्स्य टैंकों के बहुत निकट जाने या मत्स्य टैंक को थपथपाने या छूने से हतोत्साहित करने वाले समुचित साइनेज प्रदर्शित करेगा।

(5) प्रत्येक प्रगति ऐसी रीति में रखी जाएगी, जिसमें वे मुक्त रूप से तैर सकें।

(6) जब कभी कोई मत्स्यालय जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशुओं को आश्रय हेतु स्वीकृत करने का विनिश्चय करता है तो जिस स्रोत से पशु प्राप्त किया गया है, उसको प्राप्त करने की वैधता, मत्स्यालय में उसके आश्रय, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल हेतु उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट राज्य बोर्ड को भेजी जाएगी।

14 पशु चिकित्सा और अवसंरचनात्मक सुविधाएं - (1) प्रत्येक मत्स्यालय में –

(क) एक मत्स्य चिकित्सक या मत्स्य विशेषज्ञ होगा, जो उसके संग्रहण में सभी मत्स्य टैंक पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल के पर्यवेक्षण के प्रयोजन के पूर्ण कालिक नियोजन में होगा;

(ख) उपचार कक्ष के लिए समुचित सुविधाएं होंगी।

(2) प्रत्येक मत्स्यालय ने रोगी, क्षतिग्रस्त या जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशुओं को करंतीन रखने के प्रयोजन के लिए उनके उपचार और ठीक होने की अवधि के दौरान मत्स्य टैंक निर्मित या प्रतिष्ठापित करने के साथ एक अलगाव कक्ष होगा।

(3) प्रत्येक मत्स्यालय ऑपरेटर प्रत्येक मत्स्यालय को उसके मत्स्य विशेषज्ञ के लिए यथाअपेक्षित सहायक स्टाफ प्रदान करेगा।

(4) प्रत्येक मत्स्यालय स्थानीय मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं और संगठनों के साथ निम्नलिखित उद्देश्यों की व्यवस्था करने के लिए सहबद्ध होगा –

(क) गंभीर प्रकृति के रोगों के वैज्ञानिक निदान में सहायता और प्रभावी उपचारी उपायों पर सलाह;

(ख) मत्स्य टैंक पशु हथालन कर्ताओं के प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल स्तर उन्नत करना; और

(ग) करंतीन के लिए और रोगों के फैलने को रोकने के लिए निवारक उपायों के लिए प्रोटोकाल का विकास।

15. अभिलेख और सूची का रखरखाव – (1) प्रत्येक मत्स्यालय अपने संग्रहण में मत्स्य की प्रत्येक प्रजाति के अर्जन, मृत्यु और निपटान का अभिलेख राज्य बोर्ड द्वारा अवधारित रीति और प्रपत्र में रखेगा।

(2) प्रत्येक मत्स्यालय राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्रपत्र में खाद्य रजिस्टर और स्वास्थ्य रजिस्टर रखेगा।

16. शिक्षा और पहुंच क्रियाकलाप – मत्स्य टैंक पशुओं द्वारा शैक्षिक क्रियाकलाप के रूप में कोई भौतिक हथालन या प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

17. मत्स्यालय द्वारा नियमों का अननुपालन – (1) यदि राज्य बोर्ड या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा किसी मत्स्यालय के निरीक्षण के दौरान इन नियमों की अपेक्षाओं का कोई अतिक्रमण प्रकाश में आता है तो राज्य बोर्ड, मत्स्यालय को नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर नोटिस जारी करेगा कि क्यों न मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाए।

(2) राज्य बोर्ड, यदि मत्स्यालय के प्रत्युत्तर से संतुष्ट न हो या यदि कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो, तो मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करेगा और उसके कारण लिखत में मत्स्यालय के ऑपरेटर को सूचित करेगा:

परंतु यदि मत्स्यालय नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अतिक्रमण हटाता है या परिशोधित करता है तो उस नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य बोर्ड को यह संसूचित करते हुए कि वह ऐसा करेगा, और राज्य बोर्ड समाधानप्रद ऐसा दर्शाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि मत्स्यालय इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिक्रमण को हटाने या परिशोधित करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत किया जाएगा।

(3) मत्स्यालय, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तब तक सील नहीं किया जाएगा –

(क) जब तक नियम 32 में वर्णित ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध अपील करने की अवधि समाप्त न हो गई हो; और

(ख) ऐसी दशा में जहां अपील की गई है और लंबित है, अपील के निपटान तक।

(4) जहां अपील अस्वीकृत की गई है वहां स्थानीय प्राधिकारी राज्य बोर्ड की सिफारिश पर मत्स्यालय को सील करेगा और उसके कब्जे में सभी मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त करेगा तथा इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपे जाएंगे या किसी क्षेत्र में जो उनका प्राकृतिक पर्यवास में छोड़े जाएंगे।

(5) यदि कोई मत्स्यालय किसी मत्स्य टैंक पशुओं को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा व पाया गया या किसी सुविधा को रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना चलाते हुए पाया गया तो राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को सिफारिश करेगा और मत्स्यालय को सील करेगा तथा प्रदर्शित मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त करेगा और इसप्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु उपनियम (4) में बताई गई रीति में निपटाए जाएंगे :

परंतु यदि मत्स्यालय ऑपरेटर निरीक्षण या जांच के समय वचनबंध करता है कि व इन नियमों के अनुसार सात दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा तो उसके आवेदन के निपटान तक मत्स्यालय सील नहीं किया जाएगा।

भाग 3

व्यापार

18. मत्स्य टैंक पशुओं के व्यापार पर प्रतिषेध - (1) राज्य पशु कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्य दुकान कार्य नहीं करेगी।

(2) कोई मत्स्य दुकान निम्नलिखित को नहीं रखेगी, आश्रय नहीं देगी, प्रदर्शित या व्यापार नहीं करेगी

(क) किसी कैटेशियन, पेंग्विन, ऑटर, मेनेटीस, सीटरटल और समुद्री टरटल, कृत्रिम रूप से रंगी गई मछली, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का 53 में सूचीबद्ध मत्स्य टैंक पशुओं की कोई प्रजाति या कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पेशिज़ के परिशिष्ट 1 के अधीन सूचीबद्ध कोई प्रजाति ; या

(ख) दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कोई प्रजाति।

(3) कोई मत्स्य दुकान मत्स्य टैंक पशुओं से अन्यथा पशुओं में व्यापार नहीं करेगी।

(4) कोई मत्स्य दुकान फफूंद से ढके, धंसे पेट, धंसी आंखें, जकड़े या अस्वस्थ फिन, सश्रम श्वसन (प्रायः बिल्कुल विस्तारित गिल कवर सहित), और परजीवियों या रोग के परिणामस्वरूप बाह्य धब्बों वाली मछली का व्यापार नहीं करेगी।

19. रजिस्ट्रीकरण के बिना मत्स्य दुकान चलाने पर प्रतिषेध – (1) कोई मत्स्य दुकान –

(क) मत्स्य टैंक पशुओं के व्यापार में कारबार नहीं करेगी या जारी नहीं रखेगी; या

(ख) इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना मत्स्य दुकान या मत्स्य टैंक पशुओं के व्यापार में लगे हुए किसी अन्य स्थापन को स्थापित या प्रचालित नहीं करेगी :

परंतु इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को किसी मत्स्य दुकान को चलाने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारंभ से तीन मास के भीतर इन नियमों के अधीन मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि यदि प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विहित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है या इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी कारण के लिए रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है तो राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को दुकान को सील करने की सिफारिश करेगा और व्यापार के लिए प्रदर्शित और रखे गए मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त करेगा तथा इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशुओं किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपे जाएंगे ।

20. मत्स्य दुकान का रजिस्ट्रीकरण – (1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन मत्स्य दुकान की रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, उसने व्यस्कता की आयु प्राप्त की है और वह स्वस्थ चित्त है तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संविदा करने से निरर्हित न हो; और

(ख) किसी अन्य दशा में, व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कोई निगम, कंपनी या अन्य व्यक्तियों का संगम है ।

(2) मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पहली अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप 3 में उसमें अपेक्षित समस्त जानकारी देते हुए और नियम 23 में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों तथा पांच हजार रुपये अप्रतिदेय फीस संलग्न करते हुए राज्य बोर्ड को किया जाएगा ।

(3) मत्स्य टैंक पशुओं में व्यापार के कारबार को करने या जारी रखने के लिए उपयोग में लाए जाने या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित प्रत्येक मत्स्य दुकान या परिसर के लिए किसी व्यक्ति से पृथक आवेदन करना अपेक्षित होगा ।

(4) राज्य बोर्ड उपनियम (2) के अधीन मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर स्थानीय प्राधिकारी के किसी प्रतिनिधि, राज्य बोर्ड के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि और किसी मत्स्य विशेषज्ञ से गठित टीम द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाएगा ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट टीम निरीक्षण करने के पश्चात् राज्य बोर्ड को टीम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(6) राज्य बोर्ड, उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत की गई टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और अपना यह समाधान होने पर कि मत्स्य दुकान इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में है । मत्स्य दुकान और रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा ।

(7) राज्य बोर्ड मत्स्य दुकान को रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करेगा, यदि –

(क) नियम 18 और 19 के अधीन दी गई अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती हैं;

(ख) आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना झूठी पाई गई या आवेदक ने आवेदन में तात्त्विक और जानबूझकर मिथ्या कथन किए हैं या राज्य बोर्ड को झूठे और जाली अभिलेख प्रदान किए हैं; या

(ग) आवेदक को मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके आवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रकम पर अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

- (घ) आवेदक ने निरीक्षक या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि को अपनी सुविधाओं के लिए मुक्त और अबाधित पहुंच से इंकार किया है;
- (ङ) आवेदक रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्य दुकान चला रहा था और उसके लिए आवेदन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप राज्य बोर्ड की सिफारिश पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त किया गया और उसकी दुकान को सील किया गया और इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को भेजे जाएंगे।
- (8) जहां राज्य बोर्ड मत्स्य दुकान को रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड लिखत में उसके कारणों को आवेदक को सूचित करेगा।
- (9) राज्य बोर्ड, मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो राज्य बोर्ड आवश्यक समझे –
- (क) उस मत्स्य दुकान के संबंध में आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा; और
- (ख) मत्स्य दुकान के ब्यौरे अभिलेख के प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टिकृत करवाएगा।
- (10) राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और पांच हजार रुपये की फीस के साथ राज्य बोर्ड को किए गए आवेदन पर नवीकृत किया जा सकेगा।
- (11) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र गैर-अंतरणीय होगा।
- (12) प्रत्येक मत्स्य दुकान अपनी मत्स्य दुकान में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रमुखतः प्रदर्शित करेगी और प्रत्येक मत्स्य दुकान बोर्ड पर दुकान में रखी गई मत्स्य की प्रजातियां, चाहे वह विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाती हैं या नहीं, बोर्ड पर प्रदर्शित करेगी।
- (13) प्रत्येक मत्स्य दुकान स्वामी मत्स्य के क्रय के स्रोत, जो दुकान में लाया जाता है और जिस मूल्य पर उसे खरीदा गया था, का पूरा अभिलेख रखेगा।
- (14) प्रत्येक मत्स्य दुकान राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए अपने परिसर खुले रखेगी।
21. **रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण** – मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व राज्य बोर्ड को पहली अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप 4 में किया जाएगा और प्रक्रिया नियम 20 के अनुसार होगी।
22. **मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फीस** – नियम 20 के अधीन मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के संबंध में “राज्य पशु कल्याण बोर्ड” के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के माध्यम से संदत्त की जाने वाली पांच हजार रुपये की फीस संदत्त की जाएगी।
23. **मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज और विशिष्टियां** -- (1) नियम 20 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 22 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी और उसमें प्ररूप 3 में विशिष्टियां और निम्नलिखित दस्तावेज भी अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-
- (क) स्थानीय मत्स्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र; और
- (ख) स्थानीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र
24. **जांच करने और सूचना मांगने की शक्ति** – राज्य बोर्ड, इन नियमों के अधीन मत्स्य दुकान का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात्, ऐसी जांच कर सकेगा और आवेदक से ऐसी और सूचना मांग सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
25. **अभिलेख और सूची का अनुरक्षण** – (1) प्रत्येक मत्स्य दुकान अपने संग्रहण में मत्स्य की प्रत्येक प्रजाति के अर्जन, मृत्यु, निपटान के अभिलेख राज्य बोर्ड द्वारा अवधारित रीति और प्ररूप में रखेगा।
- (2) प्रत्येक मत्स्य दुकान राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्ररूप में खाद्य रजिस्टर और स्वास्थ्य रजिस्टर रखेगा।

(3) प्रत्येक मत्स्य दुकान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान व्यापार किए गए मत्स्य टैंक पशुओं की कुल संख्या के संबंध में सूचना से समाविष्ट राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्ररूप में सूची रखेगी।

26. नियमों का अननुपालन – (1) राज्य बोर्ड, लिखित शिकायत की प्राप्ति या अन्यथा, मत्स्य दुकान स्वामी द्वारा इन नियमों के किसी अननुपालन की जांच कर सकेगा या उसे सिद्ध करने के लिए निरीक्षक के माध्यम से पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या सोसाइटी द्वारा जांच या परिवाद की जांच करवा सकेगा।

(2) यदि ऐसी जांच या किसी निरीक्षण के दौरान, यह संदेह किया जाता है कि कोई मत्स्य टैंक पशु बीमार है या किसी प्रकार का कष्ट अनुभव कर रहा है, तो कोई निरीक्षक या राज्य बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, -

- (क) मत्स्य दुकान स्वामी से तत्काल मत्स्य टैंक पशु को चिकित्सा या अन्य देखभाल प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा; या
 - (ख) उन कारणों को लिखत में अभिलिखित करने के पश्चात् कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक क्यों हैं और मत्स्य दुकान स्वामी को इस प्रकार अभिलिखित कारणों की प्रति देते हुए, मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त कर सकेगा, और उनको किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को उपचार और देखभाल के लिए हटा सकेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन मत्स्य टैंक पशुओं के उपचार और देखभाल के उपगत व्यय मत्स्य दुकान स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट मत्स्यालय मत्स्य टैंक पशु के पूरी तरह ठीक हो जाने और मत्स्यालय को उसके उपचार और देखभाल के लिए प्रदत्त व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के पश्चात् मत्स्य टैंक पशु को मत्स्य दुकान स्वामी को लौटाएगा।
- (4) मत्स्य दुकान स्वामी को इस नियम के अधीन बीमार या अन्यथा कष्ट की अवस्था में मत्स्य टैंक पशु को हटाने की दशा में स्थानीय प्राधिकारी या राज्य बोर्ड या उपरोक्त मत्स्यालय से किसी प्रतिकर, चाहे जो भी हो, का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- (5) यदि कोई मत्स्य दुकान स्वामी रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्य दुकान चलाता हुआ पाया गया तो राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी से दुकान को सील करने की सिफारिश कर सकेगा और उसके कब्जे में मत्स्य टैंक पशु को जब्त करेगा तथा इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपे जाएंगे।
- (6) यदि निरीक्षक द्वारा किसी मत्स्य दुकान के निरीक्षण के दौरान इन नियमों की अपेक्षाओं के किसी अन्य अतिक्रमण का पता चलता है तो राज्य बोर्ड नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को एक प्रति सहित मत्स्य दुकान स्वामी को एक नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए।
- (7) राज्य बोर्ड यदि मत्स्य दुकान स्वामी के प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है या कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तो रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और मत्स्य दुकान स्वामी को उसके कारण लिखत में संसूचित कर सकेगा।
- (8) मत्स्य दुकान, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तब तक सील नहीं की जाएगी -
- (क) जब तक नियम 32 में वर्णित ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध अपील करने की अवधि समाप्त न हुई हो ; और
 - (ख) जहां अपील की गई है और लंबित है, वहां अपील की निपटान तक।
- (9) जहां अपील अस्वीकृत की गई है, वहां राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को दुकान सील करने की सिफारिश कर सकेगा और व्यापार के लिए प्रदर्शित या रखे गए मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त कर सकेगा तथा जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु तत्पश्चात् उपनियम (5) में दी गई रीति में निपटाए जाएंगे।

27. स्थापन का निरीक्षण – (1) राज्य बोर्ड, या तो किसी शिकायत की प्राप्ति पर या किसी अन्य कारण से निरीक्षक के माध्यम से पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या सोसाइटी द्वारा किसी मत्स्य दुकान का निरीक्षण करवा सकेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत निरीक्षक को अपना प्राधिकार पेश करते हुए ---

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन हो रहा है, के लिए किसी युक्तियुक्त समय तक मत्स्य दुकान में प्रवेश करने और परिसर के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी मत्स्य टैंक पशुओं तथा अभिलेखों तक पहुंच की शक्ति होगी;

(ख) तस्वीर लेने, विडियो रिकार्ड करने और अभिलेखों की प्रतियां बनाने की शक्ति होगी;

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मत्स्य दुकान का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार किया जाएगा।

(4) निरीक्षक राज्य बोर्ड को निरीक्षण की लिखत में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि राज्य बोर्ड, उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, की यह राय है कि मत्स्य दुकान स्वामी द्वारा इन नियमों की किन्हीं अपेक्षाओं का उल्लंघन किया गया है तो वह मत्स्य दुकान स्वामी को रिपोर्ट की प्रति और कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् मत्स्य दुकान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा तथा उसके कारण लिखत में संसूचित करेगा।

28. रजिस्ट्रीकृत मत्स्य दुकान के स्वामी की मृत्यु और परिसर के परिवर्तन का प्रभाव –

(1) यदि इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुकान के स्वामी की मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व होती है तो मत्स्य दुकान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण उस मत्स्य दुकान के संबंध में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रदान किया गया समझा जाएगा और स्वामी की मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति न होने तक विधिमान्य रहेगा।

(2) मत्स्य दुकान के परिसर के परिवर्तन की दशा में मत्स्य दुकान स्वामी उस दुकान में जाने से पूर्व परिवर्तन के विषय में राज्य बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए संसूचित करेगा।

भाग 4

मत्स्यालयों और मत्स्य दुकानों के लिए साधारण उपबंध

29. मत्स्य टैंक पशु आश्रय और प्रदर्शन – (1) कोई मत्स्य टैंक पशु ऐसे मत्स्य टैंक में रखे, आश्रित या प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे जो इन नियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं है।

(2) मत्स्य टैंकों के डिजाइन और आयाम, मत्स्यों की संख्या और प्रजातियां, जो मत्स्य टैंक में आश्रित की जा सकती हैं, अवधारित करेंगे और मत्स्य टैंक पशु मत्स्य टैंकों में बोर्ड द्वारा प्रकाशित निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आश्रित किए जाएंगे।

(3) मत्स्यालय और मत्स्य दुकान सुनिश्चित करेगी कि मत्स्य टैंक, मत्स्य टैंक पशुओं, केयरटेकरों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित और संरक्षित है।

(4) कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान मत्स्य टैंक पशुओं की दो या अधिक प्रजातियों को, जो एक दूसरे के संगत नहीं है, इक्ठे आश्रित नहीं करेंगे।

(5) एक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान उस मत्स्य टैंक में आश्रित मत्स्य की प्रजातियों की निर्दिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण का मिलान करने के लिए मत्स्य टैंकों में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास करेंगे।

(6) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान सुनिश्चित करेंगे कि मत्स्य टैंकों में पानी की क्वालिटी हर समय बनाई रखी जाए और विहित खारेपन, पीएच, कठोरता और तापमान अनुज्ञात रेंज के भीतर है ताकि मत्स्य टैंक पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(7) कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान –

(क) मत्स्य टैंक पशुओं को रखने के लिए कटोरे प्रदर्शित या विक्रीत नहीं करेंगे; या

(ख) मत्स्य टैंक पशुओं को रखने के लिए 13 गैलन या 60 लीटर पानी से कम क्षमता वाले टैंक प्रदर्शित या विक्रीत नहीं करेंगे

(8) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षा वाले सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए मत्स्य टैंकों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, अर्थात् :-

(क) ताजा जल मत्स्य के लिए, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच या 2.54 सेंटीमीटर के लिए टैंकों में कम से कम एक गैलन या 4.55 लीटर जल अवश्य होना चाहिए, आयतन टैंक में पानी की मात्रा को निर्दिष्ट करता है और इसके अंतर्गत चट्टानों, आभूषणों या वायु जो टैंक में आयतन का रूप ले सकते हैं, के आयतन नहीं हैं;

(ख) समुद्री मत्स्य के लिए, पहले चार मास के दौरान कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच या 2.54 सेंटीमीटर के लिए टैंकों में कम से कम चार गैलन या 18 लीटर जल अवश्य होना चाहिए और तत्पश्चात् कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच या 2.54 सेंटीमीटर के लिए कम से कम दो गैलन या 9 लीटर जल अवश्य होना चाहिए, तत्पश्चात् जिसका आयतन टैंक में जल की मात्रा को निर्दिष्ट करता है और उसके अंतर्गत चट्टानों, आभूषणों या वायु जो टैंक में आयतन का रूप ले सकते हैं, के आयतन नहीं हैं;

(ग) प्रत्येक टैंक का जल धरातल क्षेत्र कम से कम -

(i) ऊष्ण कटिबंधी ताजा जल मछली की दशा में, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच के लिए 12 वर्ग इंच या प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए 78 वर्ग सेंटीमीटर होगा ;

(ii) शीतल जल ताजा जल मछली की दशा में, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच के लिए 30 वर्ग इंच या प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए 194 वर्ग सेंटीमीटर होगा ;

(iii) ऊष्ण कटिबंधी समुद्री मछली की दशा में, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच के लिए 48 वर्ग इंच या प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए 310 वर्ग सेंटीमीटर होगा ;

(घ) जल आक्सीजनीकरण 80 प्रतिशत से अधिक रहना आवश्यक है और जब स्तर 80 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो आक्सीजनीकरण नियमित रूप से भंडारण सघनता कम करते हुए, जल आयतन को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करते हुए, वातन बढ़ाते हुए, या खराब ढंग से काम करने वाले हीटर, फिल्टर या वायु पत्थर को ठीक करते हुए मापा और समायोजित किया जाता है;

(ङ.) टैंक में लगभग 10 प्रतिशत जल सप्ताह में एक बार प्रतिस्थापित किया जाता है और जल की क्वालिटी को सुधारने के लिए जल आयतन का नियमित या आंशिक प्रतिस्थापन और जल संचलन उत्पन्न करने के लिए युक्तियों का उपयोग किया जाता है और मछलियों को उचित रूप से तैरने और सामान्य व्यवहार बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए जल प्रवाह समुचित है;

(च) लवणता और पीएच स्तर का कम से कम सप्ताह में एक बार और जल बदलने के बाद परीक्षण किया जाता है ।

(छ) नाइट्रेट स्तर का कम से कम सप्ताह में एक बार परीक्षण किया जाता है और अमोनिया और नाइट्रेट स्तरों का परीक्षण नए मत्स्य टैंक पशु टैंक में डालने के पश्चात् तीन दिनों तक प्रतिदिन तथा तत्पश्चात् प्रतिसप्ताह किया जाता है ।

(ज) टैंकों को नियमित रूप से कम से कम महीने में एक बार और जब कभी टैंक अस्वच्छ होते हैं तो साफ और निर्वात किया जाता है ।

(झ) नवनिर्मित टैंक को मत्स्य टैंक पशुओं के लिए पानी भरने से पूर्व विलायकों को बाहर निकालने के लिए कंडीशनिंग और डीप्पूरेशन अवधि की आवश्यकता होती है;

(ञ) फिल्टरों की जांच सप्ताह में एक बार की जाती है तथा यथाआवश्यक सफाई और प्रतिस्थापन किया जाता है;

(ट) झाग वाला, गंदला, पीला और बदबूदार जल, सभी बदत्तर होने वाली दशाओं के संकेत हैं;

(ठ) उपयुक्त फिल्टरों का उपयोग किया जाता है;

(ड) टैंकों के आंतरिक तल बराबर, अवस्थित और सीलबंद हैं तथा प्रणाली जल के संपर्क में लकड़ी का उपयोग टैंक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक सरंध्र सामग्री है जिसमें विषाक्त तत्व (विशेषकर प्लाईवुड में गोंद का दाबकृत उपचार) पाए जा सकते हैं, चूंकि यह सड़ सकता है और उसके लिए सील कारकों की आवश्यकता होती है जो विषाक्त हो सकते हैं तथा विनायल टैंक केवल अस्थायी धारणार्थ उपयुक्त होते हैं चूंकि प्लास्टीसाइजर विषाक्त हो सकता है तथा विनायल में प्रायः संप्लवक पाए जाते हैं ;

(ढ) टैंक पर ढक्कन लगाए जाते हैं, जैसा कि टैंक जाली या ठोस ढक्कन जो मत्स्य टैंक पशु को टैंक से बाहर कूदने से रोकते हैं;

(ण) जल सतह और ढक्कन के बीच ऊचाई ऐसी हो जो मत्स्य टैंक पशु को, यदि वे कूदते हैं तो क्षति का जोखिम न्यूनतम हो और ढक्कन से मत्स्य टैंक पशु दिखने आवश्यक हैं, या तो ढक्कन पारदर्शी हों या हटाया जा सके या आंशिक रूप से हटाया जा सके;

(त) सभी गर्म जल मत्स्यालयों में मत्स्यालय हीटर और थर्मामीटर हों और सभी लवण-जल मत्स्यालयों में, मत्स्यालय में रोगजनकों की मुक्ततः - तैरने वाली संख्या को कम करने के लिए कोई पराबैंगनी निष्कीटक हों ;

(थ) विद्युत संघटक और उपस्कर स्पलैश जोन से बाहर अवस्थित हों, जब तक कि अवगाहन-क्षम होने के लिए सुरक्षित रूप से डिजाइन न किए गए हों तथा नमी-सह बाड़ों में आश्रित किए जाते हों तथा विद्युत फिक्सचरों में जल के रिसाव को रोकने के लिए गैसकेट लगाए जाते हैं, और पाइपलाइन से ऊपर अवस्थित किए जाते हैं;

(द) टैंक स्पोर्ट उचित प्रकार से डिजाइन किए हों तथा मजबूत और स्थायी रूप जिसका भार फर्शी ढांचे पर हों ताकि आपाती गिरने के खतरे को रोका जा सके;

(ध) टैंक में केवल पौधों की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग किया जाता है ;

(न) किसी भी टैंक में कोई ऐसी धातु या सामग्री नहीं हो जो संक्षारित हो सके या कोई पत्थर जो जल में रासायनिक परिवर्तन ला सके, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट या केलकेरियस रेत पत्थर जो जल को कठोर और क्षारीय बनाते हैं; और

(प) मत्स्य टैंक या मत्स्यालय निम्नलिखित स्थानों में नहीं रखे जाते हैं, अर्थात्:-

- (i) सीधी धूप में या रेडियेटर के निकट ;
- (ii) ऐसे स्थान में जहां हमेशा रोशनी हो, या जहां हमेशा अंधेरा हो;
- (iii) ऐसे स्थान में जहां वर्षा जल टैंक में गिर सकता है;
- (iv) अत्यधिक ठंडे या अत्यधिक गर्म स्थान में
- (v) ऐसे स्थान में जहां तापमान में उतार-चढ़ाव जैसे वातानुकूलन इकाइयों, वायु संचालन इकाइयों, खुले अग्नि-स्थलों, रसोइयों, खाना बनाने वाले क्षेत्रों, खिड़कियों, दरवाजों के निकट, चूंकि ये सभी टैंक में तापमान में भारी परिवर्तन ला सकते हैं;
- (vi) किसी ऐसे स्थान में जहां यातायात या लोगों की अधिक संख्या में आवाजाही से निरंतर कंपन होती हो ।

30. सुविधाएं -- (1) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान सुनिश्चित करेगी कि -

(क) आश्रय, सामाजिक समूहीकरण, ऊपरी कवर और रोशनी के संबंध में जलीय पर्यावरण का डिजाइन मत्स्य टैंक पशुओं की स्थापित भौतिक और व्यवहार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है;

(ख) शोर और कंपन करने वाली मशीनरी मत्स्य टैंक पशुओं को आश्रित करने वाले क्षेत्रों से अलग रखा जाता है;

(ग) प्रजातियों के लिए रोशनी समुचित हो और धीरे-धीरे मंदकर के साथ चालू और बंद की जाती है तथा रात्रि के समय बंद की जाती है; और उदीप्त रोशनी गर्मी प्रदान करती हो तथा इसलिए 12 घंटे बंद की अनुसूची पर हों;

(घ) आपातकालीन आकस्मिकता क्षमता हो, जो हवादार और फिल्टर जल को बनाए रखने में सक्षम हो और जीवन सक्षम की निरंतरता को आश्वस्त करते हुए तथा आधारभूत अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है;

- (ड.) उसके पास प्रणाली के भीतर उपयुक्त क्वालिटी की पर्याप्त जल आपूर्ति और पर्याप्त फिल्टरेशन है ताकि लंबित ठोस पदार्थों और अपशिष्टों को हटाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रजाति-विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए स्वीकार्य स्तरों के भीतर जल क्वालिटी पैरामीटर का स्तर बनाए रखा जा सके;
- (च) जल आपूर्ति में संदूषकों से मछलियों को संरक्षित करने के लिए उपाय जैसे कि रिवर्स ओसमोसिस प्रणाली की कार्बन फिल्टरिंग प्रणाली, सक्रिय चारकोल (वृहत आयतन प्रणालियों के लिए) और सोडियम थियोसल्फेट (लघुत्तर प्रणालियों के लिए) उपचारों का उपयोग किया जाता है;
- (छ) यदि जल के खुले निकाय या किसी नगरपालिका स्रोत से ताजा या समुद्री जल निकाला जाता है तो उसका परीक्षण किया जाता है और संदूषकों रोगजनकों को हटाने के लिए उपचार किया जाता है;
- (ज) जल क्वालिटी पैरामीटरों (आयोन्स, पीएच, धातु इत्यादि) का व्यापक विश्लेषण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और वार्षिक आधार पर परीक्षण किया जाता है;
- (झ) यदि सुविधा में कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति पर्याप्त और विश्वसनीय है तथा जल आक्सीजन रहित नहीं है या उसमें धातु आयन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया और अन्य गैसों के उच्च स्तर हैं या अत्यधिक उच्च या निम्न क्षार्यता है, के लिए दाग बूंद परीक्षा किया जाता है;
- (ञ) टैंकों को और से जलापूर्ति और नाली की लाइनें विघटन से संरक्षित, सुरक्षित हों तथा वायु-बंध, गंदे होने से बचाव के लिए कठोर, स्थायी रूप से स्थिर पाइपों से बनी हो और साधारण, निम्न प्रौद्योगिकी पद्धतियों द्वारा सफाई को सुकर बनाने के लिए प्रमुख रूप से लेबलीकृत और डिजाइन किए गए हों;
- (ट) लाइनों की दशा और पंपों और फिल्टरों के कार्य को मॉनीटर करने के लिए प्रणाली के समग्र बिंदुओं पर प्रेशर गेज और फ्लो मीटर प्रतिस्थापित किए जाते हैं;
- (ठ) पॉलीविनायल क्लोराइड और अन्य सामग्रियां मानव के पेयजल मानकों को पूरा करते हैं और ऐसीटोन, मिथाइलथाइलकैटोन्स और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान्स, जो ग्लूंस के पश्चात् निकलते हैं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से साफ किए जाते हैं;
- (ड) मुख्य नालियां बड़े आकार की होती हैं जो पानी के अधिक बहाव को नियंत्रित करती हैं तथा गटर्स ढके होते हैं जिनके फर्श साफ किए जाते हैं और जिनमें से पानी तेजी से बह सकता है;
- (ढ) नालियां और गटर सामान्य प्रवाह के अंतर्गत स्वतः सफाई करने के लिए और लाइनों में जमा हुए अपशिष्टों के हटाने के लिए क्लीनिंग पिग के उपयोग को अनुज्ञात करने के लिए डिजाइन किया जाता है और जहां व्यवहार्य हो, सभी टैंकों की नालियों में जालियां फिट की जाती हैं और क्लीन-आउट पोर्ट तक सुगमतापूर्वक पहुंच हो;
- (ण) यदि सुविधा से बहिस्त्राव अनुपचारित है, तो उसे ऐसे स्थान में गिराया जाता है जो आंतरिक प्रणाली से दूर हो, ताकि प्रणाली में बहिस्त्राव के पुनःपरिचालन की संभावना को न्यूनतम किया जा सके और उस स्थान का जहां बहिस्त्राव गिराए गए हों का जल निकाय में वन्य जलीय जीवों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो;
- (त) यदि बहिस्त्राव को नगरपालिका सीवर में गिराया जाता है तो यह आवश्यक है कि बहिस्त्राव को सीवर में डालने से पूर्व बहिस्त्रावों में संभाव्य हानिकर सामग्रियों, जैसे रोगाणुनाशी अविषैले सांद्रताओं के रूप में पानी मिलाकर पतले किए जाएं;
- (थ) प्रणाली को गैस प्रदान करने वाले सभी कंप्रेशरों में नमी और तेल ट्रेप हटाने के लिए युक्तियां लगी हों ताकि तेल रिसाव को मत्स्य टैंकों में प्रवेश होने से रोका जा सके और जहां तक संभव हो खाद्य गृह स्नेहकों का उपयोग किया जाए तथा कंप्रेशर के इनटेक मार्ग में अवस्थित हों जो केवल साफ वायु का उपयोग अनुज्ञात करे, जो इंजन एक्जॉस्ट, तंबाकू धुंए या अन्य वायुजनित संदूषकों से मुक्त हों;

(द) नए मत्स्य टैंक पशुओं को पृथक रखने के लिए समर्पित पृथक करंतीन क्षेत्र और पैर और हाथ साफ करने के केंद्र होते हैं, जिनमें आधारभूत स्वच्छता उपाय होंगे ताकि जलीय पशु रोगों को पनपने और फैलने से रोका जा सके;

(ध) सुविधाएं के निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाली सभी सामग्रियां जिसके अंतर्गत रोगन, फाइबर ग्लास, धरातल, इंसुलेटिंग सामग्रियां, एरोसोल्स, एयरडक्ट और काष्ठ परिरक्षक हैं, अविषाक्त और क्षय और जल-क्षति सह है तथा पाइपों, फिटिंगों और वाल्वों में तांबा, निकल, पीतल, जस्ता या कलई करने वाले उपचार अंतर्विष्ट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप भारी धातुओं में विषाक्त संकेद्रण हो सकता है;

(न) यदि कोई संभाव्य विषाक्त सामग्री विनिर्माण, जिसके अंतर्गत ऐसी सामग्री जो आयोन्स, रासायनिक या क्षय-उत्पाद उनके तलों से निर्मुक्त कर सकते हैं, तो राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाता है;

(प) विनिर्माण में प्रयुक्त सभी धातु या कंक्रीट सील की जाती है या अक्रिय की जाती है और यदि सिलिकोन सीलेंट का उपयोग किया जाता है तो उसे मत्स्यालयों में उपयोग हेतु उपयुक्त लेबल किया जाता है तथा उसे किसी परिवर्तनशील विषाक्तों को निर्मुक्त करने के लिए उपचार हेतु अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

31. रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल – (1) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान अपने संग्रहण में सभी मत्स्य टैंक पशुओं को ऐसे संघटकों और ऐसी मात्रा में क्वालिटी खाद्य की समय पर आपूर्ति करेंगे ताकि प्रत्येक मत्स्य टैंक पशु की पौष्टिक और व्यवहारिक अपेक्षा पूरी हो तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएं जिससे कि किसी मत्स्य टैंक पशु को अर्द्ध पौष्टिक खाद्य न मिले।

(2) प्रत्येक मत्स्यालय ऑपरेटर और मत्स्य दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि बची हुई खाद्य सामग्री, मत्स्य टैंक पशुओं का मलमूत्र और सभी अन्य अपशिष्ट मत्स्य टैंकों से शीघ्र हटाए जाएं।

(3) मत्स्य विशेषज्ञ और मत्स्य टैंक पशु नियंत्रक, मत्स्य टैंक पशुओं के सामान्य व्यवहार और स्वास्थ्य पैरामीटरों पर ध्यान देंगे तथा मत्स्य टैंक पशु ऐसे व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे जिनके पास अलग-अलग मत्स्य टैंक पशु को नियंत्रित करने का अनुभव और प्रशिक्षण हो।

(4) कोई मत्स्य टैंक पशु जो मंदता, भूख की कमी, जखम, या कोई असामान्य व्यवहार दर्शाता हो तो उसका पूरी तरह मूल्यांकन किया जाएगा और तत्काल चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान मत्स्य टैंक पशुओं के स्वास्थ्य स्तर का अभिलेख रखेंगे जिसके अंतर्गत खाद्यान्न ग्रहण, चिकित्सा और उपचार है।

(6) प्रत्येक मत्स्य टैंक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात् :-

(ग) किसी टैंक की लंबाई टैंक में सबसे लंबी मछली की लंबाई, पूर्ण वयस्क की लंबाई परिकलित करते हुए, के पांच गुणा से अन्यून नहीं होगी ;

(घ) टैंक जल आयतन 13 गैलन या 60 लीटर से कम नहीं होगा।

(7) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के मानकों का अनुपालन करेंगे।

32. अपील – (1) राज्य बोर्ड के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान विनिश्चय की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर को अपील कर सकेगी।

(2) सचिव, पशुपालन विभाग मत्स्यालय या मत्स्य दुकान और राज्य बोर्ड को नोटिस देने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए कारणों को अभिलिखित करते हुए और मत्स्यालय या मत्स्य दुकान और राज्य बोर्ड को संसूचित करते हुए या तो अपील को अस्वीकार करेगा या स्वीकार करेगा।

पहली अनुसूची
(नियम 2(ज) देखें)

प्ररूप ।

(नियम 9(1) देखें)

मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय

पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य टैंक पशुओं को प्रदर्शित करने के लिए रखने हेतु मत्स्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :

1. मत्स्यालय की सुविधा का नाम और पता.
2. मत्स्यालय ऑपरेटर(रों) का नाम और पता.
3. दूरभाष सं.....
4. प्रस्तावित मत्स्यालय पर उपलब्ध आवास और अवसंरचना के ब्यौरे
5. स्टाफ/कर्मचारियों की संख्या
6. कार्य घंटे और विश्राम दिवस अर्थात् जिस दिन सुविधा बंद रहेगी :
7. प्रवेश फीस या यदि प्रवेश नि:शुल्क है :
8. वायु संचार व्यवस्था :
9. रोशनी व्यवस्था
10. ताप या प्रशीतन व्यवस्था, और ऐसी रीति जिसमें सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए सुखद तापमान बनाए रखा जा सके
11. खाद्य भंडारों हेतु व्यवस्था
12. सफाई, किस प्रकार बनाए रखना प्रस्तावित है, और मत्स्य टैंक पशुओं के मलमूत्र और अपशिष्ट को हटाने की व्यवस्था
13. मत्स्य टैंक पशु जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान की व्यवस्था
14. चिकित्सा सहायता की व्यवस्था
15. मत्स्यालय में प्रदर्शित या आश्रित किए जाने के लिए प्रस्तावित मत्स्य टैंक पशुओं के ब्यौरे

मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां:

मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति की संख्या :

मत्स्य टैंकों की संख्या और आकार:

16. फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और ब्यौरे :

इसके साथ संलग्न दस्तावेज :

मत्स्यालय सुविधा का ब्लू प्रिंट : हां/नहीं

संग्रहण योजना हां/नहीं

अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय मत्स्य विभाग) हां/नहीं

अनापत्ति प्रमाणपत्र (राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण)
हां/नहीं

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

प्ररूप II

(नियम 12(1) देखें)

मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय

पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य टैंक पशुओं को प्रदर्शित करने के लिए रखने हेतु मत्स्यालय की रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :

- 1) मत्स्यालय की सुविधा का नाम और पता.
- 2) मत्स्यालय ऑपरेटर(रों) का नाम और पता.
- 3) दूरभाष सं.....
- 4) प्रस्तावित मत्स्यालय पर उपलब्ध आवास और अवसंरचना के ब्यौरें
- 5) कार्य घंटे और विश्राम दिवस अर्थात् जिस दिन मत्स्यालय बंद रहेगा :
- 6) कर्मचारियों की संख्या और नाम
- 7) प्रवेश फीस या यदि प्रवेश नि:शुल्क है :
- 8) वायु संचार व्यवस्था :
- 9) रोशनी व्यवस्था
- 10) ताप या प्रशीतन व्यवस्था, और ऐसी रीति जिसमें सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए सुखद तापमान बनाए रखा जा सके
- 11) खाद्य भंडारों हेतु व्यवस्था

- 12) सफाई, किस प्रकार बनाए रखना प्रस्तावित है, और मत्स्य टैंक पशुओं के मलमूत्र और अपशिष्ट को हटाने की व्यवस्था
- 13) मत्स्य टैंक पशु जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान की व्यवस्था
- 14) चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था
- 15) मत्स्यालय में प्रदर्शित या आश्रित किए जाने के लिए प्रस्तावित मत्स्य टैंक पशुओं के व्यौरे
- मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां:
- मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति की संख्या :
- मत्स्य टैंकों की संख्या और आकार:
- 16) व्यौरे :
- मत्स्य टैंक पशुओं की प्रत्येक प्रजाति में मृत्यु :
- मृत्यु का कारण प्रजाति-वार :
- पिछले वर्ष में अर्जित अतिरिक्त प्रजातियां :
- मत्स्य टैंकों का अतिरिक्त विनिर्माण/प्रतिष्ठापन और/या सुविधा का विस्तारण (ब्लू प्रिंट संलग्न करें)
- 17) फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और व्यौरे :
- इसके साथ संलग्न दस्तावेज :

मत्स्यालय सुविधा का ब्लू प्रिंट :	हां/नहीं
संग्रहण योजना	हां/नहीं
खाद्यान्न रजिस्टर	हां/नहीं
उपचार रजिस्टर	हां/नहीं
मान्यता के पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र की प्रति	हां/नहीं
अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय मत्स्य विभाग)	हां/नहीं
अनापत्ति प्रमाणपत्र (राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण)	हां/नहीं

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्ररूप III

(नियम 20(3) और 23 देखें)

मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्य टैंक पशुओं में व्यापार के लिए मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय

पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :

1. मत्स्य दुकान का नाम और पता.
2. दूरभाष सं.....
3. प्रस्तावित मत्स्य दुकान पर उपलब्ध आवास और अवसंरचना के ब्यौरे
4. कार्य घंटे और विश्राम दिवस अर्थात् जिस दिन मत्स्य दुकान बंद रहेगी :
5. वायु संचार व्यवस्था :
6. रोशनी व्यवस्था
7. ताप या प्रशीतन व्यवस्था, और ऐसी रीति जिसमें सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए सुखद तापमान बनाए रखा जा सके
8. खाद्य भंडारों हेतु व्यवस्था
9. सफाई, किस प्रकार बनाए रखना प्रस्तावित है, और मत्स्य टैंक पशुओं के मलमूत्र और अपशिष्ट को हटाने की व्यवस्था
10. मत्स्य टैंक पशु जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान की व्यवस्था
11. चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था
12. मत्स्य दुकान में विक्रीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मत्स्य टैंक पशुओं के ब्यौरे
 - क. मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां और नस्लें :
 - ख. मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति और नस्ल की संख्या :
 - ग. मत्स्य टैंकों के आवास, संख्या और आकार:
13. फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और ब्यौरे :
14. ब्यौरे :
 - (i) मत्स्य टैंक पशुओं की प्रत्येक प्रजाति में मृत्यु :
 - (ii) मृत्यु का कारण प्रजाति-वार :
 - (iii) पिछले वर्ष में अर्जित अतिरिक्त प्रजातियां :

(iv) मत्स्य टैंकों का अतिरिक्त विनिर्माण/प्रतिष्ठापन और/या सुविधा का विस्तारण (ब्लू प्रिंट संलग्न करें)

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

इसके साथ संलग्न दस्तावेज :

अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय प्राधिकारी)

हां/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्ररूप IV

(नियम 21 देखें)

मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय
पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो
इसके साथ संलग्न हैं, मत्स्य टैंक पशुओं के विक्रय हेतु मत्स्य दुकान चलाने को जारी रखने के लिए आवेदन
करता हूँ/करते हैं :

1. मत्स्य दुकान का नाम और पता.
2. दूरभाष सं.....
3. नवीकरण के लिए मूल आवेदन के विरुद्ध कोई परिवर्तन :
4. विक्रय के लिए सुविधा में आश्रित मत्स्य टैंक पशुओं के ब्यौरे :
 - क. मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां और नस्लें :
 - ख. मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति और नस्ल की संख्या :
 - ग. मत्स्य टैंकों के आवास, संख्या और आकार:
5. ब्यौरे :
 - (i) मत्स्य टैंक पशुओं की प्रत्येक प्रजाति में मृत्यु :
 - (ii) मृत्यु का कारण प्रजाति-वार :
 - (iii) पिछले वर्ष में अर्जित अतिरिक्त प्रजातियां :
 - (iv) मत्स्य टैंकों का अतिरिक्त विनिर्माण/प्रतिष्ठापन और/या सुविधा का विस्तारण (ब्लू प्रिंट संलग्न करें)

6 फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और ब्यौरे :

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

इसके साथ संलग्न दस्तावेज :

अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय प्राधिकारी)

हां/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

दूसरी अनुसूची

[देखें नियम 4(2)(ख) और 8(2)(ख)]

निम्नलिखित प्रजातियों को रखना और बेचना प्रतिषिद्ध है, अर्थात् :-

सामान्य नाम

वैज्ञानिक नाम

कैटाशियन :

कैटाशियन की सभी प्रजातियां

पेंगुइन :

पेंगुइन की सभी प्रजातियां

उद्विलाव :

उद्विलाव की सभी प्रजातियां

जलगाय :

जलगाय की सभी प्रजातियां

समुद्री/मेरीन कछुआ :

समुद्री/मेरीन कछुआ की सभी प्रजातियां

बटरफ्लाई फिश

कॉपरबैंड बटरफ्लाई

सेलमॉन रोस्ट्राटस

मार्जिनेलिस बटरफ्लाई

सेलमॉन मार्जिनेलीस

लार्वा बटरफ्लाई

कैटडॉन लार्वाटस

शैडल बटरफ्लाई

कैटडॉन हिपीयम

मेयर्स बटरफ्लाई

कैटडॉन माइरी

पार्लस्केल बटरफ्लाई

कैटडॉन एक्साथ्रस

मर्टेंसिल बटरफ्लाई

कैटडॉन मार्टेंसिल

फालकूला बटरफ्लाई

कैटडॉन फॉलकुला

ब्लैक बैक बटरफ्लाई

कैटडॉन मेलांटस

ब्लू स्पॉट बटरफ्लाई

कैटडॉन प्लेबियस

ब्लू स्ट्रिप बटरफ्लाई	कैटाडॉन फ्रेमबली
बर्गोसी बटरफ्लाई	कैटाडॉन बर्गोसी
डॉट-डैश बटरफ्लाई	कैटाडॉन पनटैटोफेसिएटस
डबल शैडली	कैटाडॉन यूलीटेनसिस
फैलीशिफर बटरफ्लाई	कैटाडॉन फैलीसिफर
फोरआई बटरफ्लाई	कैटाडॉन कैपीस्ट्रेटस
फोरस्पोट बटरफ्लाई	कैटाडॉन क्वाडरीमेकुलेटस्
कोरेडियन बटरफ्लाई	कार्डियन एल्टीवलिस
गोल्डनस्ट्राइप बटरफ्लाई	कैटाडॉन ऐरोफेसिएटस
गुंथर्स बटरफ्लाई	कैटाडॉन गुवेनथेरी
लैटिट्सड बटरफ्लाई	कैटाडॉन रेफलेसी
लाइंड बटरफ्लाई	कैटाडॉन लिनियोलेट्स
मेलोन बटरफ्लाई	कैटाडॉन ट्रिफेसिएटस
मिट्रासस बटरफ्लाई	कैटाडॉन मित्रांटस
मुलेरी बटरफ्लाई	सेल्मन मुलेरी
ओसिलेटेड बटरफ्लाई	पैरासेटडॉनओसीलेटस
ऑर्नेट बटरफ्लाई	कैटाडॉन ऑर्नेटिशिमस
पेंटर रीफ बटरफ्लाई	कैटाडॉन सीडेटेरियस
पाकिस्तान बटरफ्लाई	कैटाडॉन कोलारे
पौसिफेसिएटस	कैटाडॉन पौसिफेसियटस
रैकून बटरफ्लाई	कैटाडॉन लूनुला
रैनफोर्डि बटरफ्लाई	कैटाडॉन रैनफोर्डि
रेटिकुलेटेड बटरफ्लाई	कैटाडॉन रेटिकुलेट्स
सेमियन बटरफ्लाई	कैटाडॉन सेमियन
स्पेकुलम बटरफ्लाई	कैटाडॉन स्पेकुलम
स्पॉट-फिन बटरफ्लाई	कैटाडॉन ओसेलेट्स
स्पॉर्ट-टेल बटरफ्लाई	कैटाडॉन ओसिलीकेड्स
स्पॉटेड बटरफ्लाई	कैटाडॉन गटेटीसिमस
टियरड्रॉप बटरफ्लाई	कैटाडॉन यूनीमेकुलेट्स
ट्रायंगल बटरफ्लाई	कैटाडॉन बारोनेसा
ट्रंकेट्स बटरफ्लाई	कैटाडॉन ट्रंकेट्स
येलोहेड बटरफ्लाई	कैटाडॉन एंथोसेफलस
येलोनोज बटरफ्लाई	कैटाडॉन फ्लेबीरोस्ट्रस

मुरीश आईडोल
ब्रांडेड बटरफ्लाई फिश
अटलांटिक लॉग-नोज्ड बटरफ्लाई फिश

जैनक्लस कैनीसेंस
कैटाडॉन स्ट्रेट्स
कैटाडॉन एकूलेट्स

एंजेल फिश :

हेराल्डी एंजेल
फ्लेम एंजेल
लेमोनपील एंजेल
बाइकलर एंजेल
मल्टी-कलर एंजेल फिश
गोल्डन एंजेल फिश
शेपार्डी एंजेल
पाशर एंजेल
रोक ब्यूटी एंजेल
क्लेरियोन एंजेल
कॉन्सपीकुलेट्स एंजेल
कॉन्सपीकुलेट्स
गोल्डफ्लैक एंजेलफिश
फ्लैगफिन एंजेल
रीगल एंजेल फिश
एम्परर एंजेलफिश

सेंट्रोपीज हेराल्डी
सेंट्रोपीज लोरिकुलस
सेंट्रोपीज फ्लेविशिमस
सेंट्रोपीज बाँयकलर
सेंट्रोपीज मल्टीकलर
सेंट्रोपीज औरांटिया
सेंट्रोपीज शेपार्डी
होलोकैथस पाशर
होलोकैथस ट्राईकलर
होलोकैथस क्लेरिऐंसिस
कैटोफैटोप्लस
एपॉलीमेकेथस
एक्सैथोपेंक्टेस
एपॉलीमेकेथस ट्राइमेकुलेट्स
प्योगप्लाइटस डाइकेन्थस
पोमाकैथस इम्परेटर

फाइलफिश तथा ट्रिगर्स

ओरेंज-स्पोर्ट-फाइलफिश
अंडूलेट ट्रिगरफिश
क्वीन ट्रिगरफिश
क्लाउनफिश, डैमशेल्स
रेड शेडल क्लाउनफिश
लेटजोनेटस क्लाउनफिश
व्हाइट कैप क्लाउनफिश
मेरून क्लाउनफिश
ज्वेल डैमशेल
नियॉन वैलवेट डैमशेल
गैरीबाल्डी डैमशेलफिश

ऑक्सीनोनाकेन्थस लौंगिरोस्ट्रीस
बालीस्टेपस अंडूलेट
बैलीट्स वेटूला
क्रोमिस, स्यूडोक्रोमिस
एंफीप्रियोन एंफीपियम
एंफीप्रियोन लेटजोनेटस
एंफीप्रियोन ल्युक्रोन्स
प्रीमंस बाइकुलेटस
माइक्रोस्पेथोडन क्राइसेरस
पैरागलीफीयोडोडॉन ऑक्सोडन
हिपसीपोपस रेबीकुंडस

बैटफिश:

पिनाटस बैटफिश	प्लेटैक्स पिनाटस
टियेरा बैटफिश	प्लेटैक्स टियेरा

ऐल्स :

रिब्वन ऐल्स	राईनोमुरैना क्वेसिटा
घोस्ट रिब्वन ऐल	यूरोटेरजियस कनकलर
बैन्डेड स्नेक ऐल	मेरीकैथस कोलूब्रीनस
लेपर्ड स्नेक ऐल	मेरीकैथस मैकुलस

अन्य सभी तथाकथित स्नेक ऐल:

गार्डन ऐल	टेनीकौगर हासी
-----------	---------------

रेसेस :

क्रिसमस रेसेस	हैलोकोयेरस प्रजातियां
एनामप्सेस रेसेस	एनामप्सेस प्रजातियां
लैपर्ड रेसेस	मैक्रोफायरांगडन मेलेगरीज

सभी अन्य मैक्रोफायरांगडन रेसेस:

ओरेंज लाइन रेसन	स्टेथोज्यूलीस बलटीटा
मोस्ट पेंसिल रेसेस	होलोजीनामस प्रजातियां
लेबूट फेयरी रेसेस	सिरहीलेबरस लेबाउटी
ऑल क्लीनर (लेबराइड्स तथा अन्य प्रजातियां) रेसेस	
फाल्स क्लीनर रेसेस	ऐस्पीडोंटस टैनीएट्स
लूनर रेसेस	हैलासोमा लूनर

ब्लेनिस, ड्रैगोनिटिस तथा गोबीज

मेंड्रियन ड्रैगोनेटी	सिंचीरोपस पिक्टूरेटस
स्कूटर ड्रैगोनिटी	सिंचीरोपस प्रजातियां

पैरोट फिश:

पैरोट फिश	स्कारस प्रजातियां
पैरोट फिश	सेटोसकारस प्रजातियां
पैरोट फिश	सिरहीलेबरस प्रजातियां

ऐन्थिआएस (फेयरी नास्सलेट) :

क्रीओल ऐन्थियस	पेरान्थियास प्रजातियां
ब्लू डायमंड ऐन्थियस	
हवाईयन ऐन्थियस	मिरोयब्रीकैथीस बाईकलर
परपल क्वीन ऐन्थियस	मिरोयब्रीकैथीस टुका

क्वीन टाइगर ऐन्थियस
मादा स्क्वायर बैक

मिरोयब्रीकैथीस इमेलडी
सियूडेंथिस प्लीयूरेटेनिया

बेस्सलेट्स, ग्रूपर्स, ग्रंट्स (स्वीटलिप्स) :

क्लाउन स्वीटलिप्स
मेकलर निगर ग्रंट
ऑरियंटल स्वीटलिप्स
स्ट्रिप्ड स्वीटलिप्स

प्लेक्टोरहीनकस चटोनोयडस
मेकलर नाइगर
प्लेक्टोरहीनकस लीनियटस
प्लेक्टोरहीनकस डायग्राम्मस

टेन्स :

अचील्लस टेंग
पावडर ब्लू टेंग
पावडर ब्लू टेंग
क्लाउन टेंग
शेवरोन टेंग
शोल टेंग

एकेन्थरस अचील्लेस
एकेन्थरस ट्यूकोसटरनोन
एकेन्थरस जपोनीकस
एकेन्थरस लीनियाटस
क्टेनोकायटस हवाईयंसिस
एकेन्थरस शोल

लॉयनफिश, ऐंगलर्स और स्कॉरपियनफिश

फू मंचू लायनफिश
जेब्रा डार्फ लायनफिश
वोलिटन (पीकाँक) लॉयन
एंटेनेन्टा लॉयनफिश
रेडिएंट लॉयनफिश
फुजी डार्फ लॉयनफिश
सेफेक्स लॉयनफिश
माइल्स लॉयनफिश
स्टोनफिश
स्कलपिन्स
लीफफिश
राइनो स्कॉरपियनोप्सीस
एंगलर फिश
श्रेडफिन एंगलरफिश
सी गोब्लीन्स

डेंड्रोचीरस बायोसेलस
डेंड्रोचीरस जेब्रा
पेट्रोयस वोलिटन
पेट्रोयस एंटेनेन्टा
पेट्रोयस रेडिएंट
डेंड्रोचीरस ब्राक्रिप्टरस
पेट्रोयस सेफेक्स
पेट्रोयस माइल्स
साइनेसिया स्पाइसिस
स्कॉरपियनोप्सीस स्पाइसिस
टेनिनेटस ट्राइकैथस
राइनो रीनोपियस फ्रोनडोसा
एंटेनारियस प्रजातियां
नेमानथियस कारबेरी
प्रीनोटस कारलोनियस

सीहॉर्सेस तथा पाइपफिश :

सीहॉर्सेस	हिप्पोकैम्पस प्रजातियां
सी ड्रेगन	हाइकोडोरस इक्वीज
सी ड्रेगन	हाइलोटेरिकस टेनियोलोटस
पाइपफिश	कोरिथोइकीथ प्रजातियां
पाइपफिश	डोरीहैम्फस प्रजातियां
पाइपफिश	सिग्नेथोडाइस प्रजातियां
ट्रम्पफिश प्रजातियां	अलोस्टमस प्रजातियां

शार्क, स्कैट्स तथा रेयज :

सभी शार्क, स्कैट्स रेयज तथा सॉ फिश	कौनड्रीथाइस
रेमोरा	इचेइस नॉनक्रैटस

बॉक्सफिश तथा काउफिश (ट्रंकफिश) :

ब्लू बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन मेलेग्रीस (नर)
ब्लू बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन मेलेग्रीस (मादा)
स्क्राइबल बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन सोलोरानेसिस (नर)
स्क्राइबल बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन सोलोरानेसिस (मादा)

मछली की अन्य प्रजातियां :

श्रीम्प (रेजर) फिश	सियोलीकुरस स्ट्राइगेटस
पाइंकोन फिश	क्लिडोप्स ग्लोरीमैरिस
पाइंकोन फिश	क्लिडोप्स जेपौनीकस
फ्लैशलाइट फिश	फोटोब्लेफेरन पाल्परब्राटो
बाराकुडा	फेरेनाबाराकुडा

सेफालोपोडस :

सभी ऑक्टोपस प्रजातियां	ऑक्टोपस प्रजातियां
ब्लू-रिंग ऑक्टोपस	हपालोचलेना लूनूलाटा
सभी स्किड प्रजातियां	लोलिगो तथा सेफियोतेथिस प्रजातियां
सभी कट्टलफिश प्रजातियां	सेपिया तथा सेपियोलोआइडिया प्रजातियां
सभी न्यूटिलस प्रजातियां	न्यूटिल्स तथा एरगोनोटा प्रजातियां

अन्य प्रजातियां :

फ्लावर सी उरचिन
भारतीय कोन घोंघा
मेंटिस झींगा
जेलीफिश

[फा. सं. 1/1/2010-एडब्ल्यूडी (भाग)]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

G.S.R. 493(E).—Whereas the draft Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2016 were published, as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number G.S.R. 162(E), dated the 22nd February, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd February, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 22nd February, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Aquarium and Fish Tank Animals Shop) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(b) “aquarium” means a facility or establishment, where fish tank animals are displayed;

(c) “aquarium operator” means a person who has the ultimate control over the affairs of the aquarium, and include—

(i) in case of a firm or other association of individuals, any partner or member thereof;

(ii) in case of a company, any director, manager, secretary or other officer, who is in-charge of and responsible to the company for the affairs of the aquarium; or

(iii) in case of aquarium owned or controlled by the Central Government or any State Government or Union territory Administration or any Trust or Society funded by the Central Government or State Government or a Union territory Administration, the Secretary of the concerned Department of that Government, or as the case may be, the Union territory Administration;

(d) “fish bowl” means a bowl for keeping live fish;

(e) “fisheries expert” means a person who has obtained a Master’s Degree in Fisheries Science from a recognised University or equivalent;

(f) “fish shop” means a shop, place or premises, where fish tank animals are housed, kept or exhibited for trade, or a business involving the trade of fish tank animals, and includes online platforms over which the trade of fish tank animals is carried out;

(g) “fish tank” means any container, receptacle, storage tank or vessel for keeping fish tank animals;

(h) “fish tank animal” means any live fish, or other live aquatic animal;

(i) “fish shop owner” means any person who owns or manages any fish shop;

(j) “Form” means the Form appended in the First Schedule;

(k) “inspector” means a person authorised in writing by the State Animal Welfare Board for the purpose of inspection of any fish shop or aquarium;

(l) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;

(m) “State Board” means the State Animal Welfare Board constituted in a State by the State Government;

(n) “total fish length” means the sum of the lengths of all the fish in the fish tank, calculated at the length of a full-grown adult fish, excluding the caudal tail.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Destructive fishing practices.— No aquarium or fish shop shall source fish tank animals caught by destructive fishing practices, including-

- (i) bottom trawling;
- (ii) cyanide fishing;
- (iii) use of explosives or dynamite to kill or stun fish;
- (iv) trapped from Coral Reefs; or
- (v) trapped from any protected area.

PART II AQUARIUM

4. Prohibition on display.— (1) No aquarium shall function without a certificate of registration from the State Animal Welfare Board.

(2) No aquarium shall keep, house or display,-

- (a) any cetaceans, penguins, otters, manatees, sea turtles and marine turtles, artificially coloured fish, any species of fish tank animals listed in the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), or any species listed under the Appendix I of the Convention of International Trade in Endangered Species; or
 - (b) any species listed in the Second Schedule.
- (3) No aquarium shall keep house or display animals other than fish tank animals.

5. Application for registration of aquariums.— (1) An application for registration of an aquarium shall be made to the State Board in accordance with the provisions of rule 8.

(2) All aquariums existing prior to the date of commencement of these rules shall obtain registration as per these rules within a period of six months from such commencement:

Provided that if an existing aquarium fails to obtain registration within the period specified in sub-rule (2), the aquarium shall cease to function.

(3) If the existing aquarium has in custody any prohibited species mentioned in rule 4, then –

- (a) in case of species protected under the Wildlife (Protection) Act, 1975 (53 of 1972), the Forest Department shall take custody of the same;
- (b) in case of other prohibited species, it shall be handed over to a registered aquarium.

6. Application for registration of aquarium.— (1) When an aquarium operator desires to establish an aquarium, he shall identify a suitable location and develop a master plan in accordance with rule 7.

(2) The aquarium operator shall submit the master plan to the State Board for approval before construction.

(3) The State Board may provide an approval to the master plan or seek further modification or reject the proposal.

(4) Upon completion of the construction, the State Board, shall ensure that all the facilities listed in the master plan are in accordance with the requirements in these rules.

(5) While granting registration, the State Board may impose conditions as it deems fit to implement these rules.

(6) No aquarium shall be allowed in temporary stalls in fairs or markets or exhibitions in which permanent facilities are lacking.

7. Development and planning.— (1) Every aquarium shall prepare a master plan having a blueprint and a collection plan approved by the State Board.

(2) Aquariums which are in operation at the time of commencement of these rules, shall prepare and get the master plan approved from the State Board within six months from the date of commencement of these rules.

(3) The master plan referred to in sub-rules (1) and (2) shall inter alia include all-round development of the aquarium for a period of ten years and which shall be revised every five years along with detailed layout plan prepared on the basis of the theme adopted by the aquarium indicating fish tank animal display area, visitor facilities, support infrastructure for fish tank animal upkeep and health care, buildings for administration and maintenance unit.

(4) Every aquarium shall take adequate care to locate and design all “pucca” buildings including the visitor facilities in such a manner that the fish tank animal display area is not masked and the cleanliness and the hygiene of the aquarium is not affected.

(5) Every aquarium shall, in consultation with the State Board and the local Fisheries Department prepare a collection plan indicating names of species and maximum number of fish tank animals of each species proposed to be kept, housed or displayed in the aquarium, having due regard to the congeniality of conditions of the aquarium for general health and wellbeing of species, availability of space and infrastructural support for proper upkeep and healthcare of the species and the past record of the aquarium in management of the species.

(6) No aquarium shall compromise on housing and upkeep standards of fish tank animals for accommodating new species or for additional fish tank animals of the species in its collection.

8. Fee for application for registration of aquarium.— There shall be paid in respect of every application made under rule 5 a fee of five thousand rupees through demand draft or postal order in favour of “State Animal Welfare Board” of the concerned State.

9. Documents and particulars required with application for registration of aquarium.—Every application under rule 5 shall be accompanied by the fee specified under rule 8 and shall also contain the particulars specified in Form I and following documents, namely:-

- (a) a no-objection certificate from the local Fisheries Department; and
- (b) in case of an aquarium in coastal zones, a no objection certificate from the National Coastal Management Authority.

10. Grant of registration of aquarium.— (1) The State Board, on receipt of application for registration, shall cause the facility of the applicant aquarium to be inspected by a team comprising of a representative of the State Board, a fisheries expert, and a representative of the local authority and the team shall, after inspection of the facility, submit a report of its findings to the State Board.

(2) The State Board, on being satisfied that the aquarium is in conformity with these rules, may grant registration.

(3) The State Board shall dispose the application for registration within one month from date of receipt of completed application.

(4) The State Board shall not grant registration of aquarium, if-

- (a) the requirements set out under these rules are not met; or
- (b) the information submitted by the applicant has been found to be false or the applicant has made material and deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the State Board; or
- (c) the applicant has, at any stage prior to submission of his application for registration of aquarium, been convicted of any offence under the Act, or the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force; or
- (d) the applicant has refused to allow the inspector or the representative of the State Board, free and unimpeded access to his facilities.

(5) Where the State Board does not grant the registration of aquarium, the State Board shall inform the applicant in writing the reasons thereof.

(6) The State Board shall maintain a register containing all the registered aquariums.

(7) The registration granted to the aquarium shall be subject to the following conditions, namely:-

- (a) the registration shall be for a period not more than two years;
- (b) the aquarium shall comply with the directions and the guidelines issued by the State Board from time to time for the purpose of maintenance and upkeep of the aquarium; and
- (c) a certificate of registration issued under these rules shall be non-transferable.

11. Power to make inquiries and call for information from aquarium.—The State Board after granting registration to the aquarium under these rules, may make such inquiries and ask for from the applicant such further information, as it may consider necessary.

12. Renewal of registration.— (1) An aquarium registered under these rules shall make an application for renewal of its registration to the State Board in Form II, within ninety days before the expiry of registration.

(2) The provisions of rules 5,6,7,8 and 9 shall apply in relation to renewal of registration as they apply to the grant of registration.

13. General requirements.— (1) Every aquarium shall sustain a population of physically, genetically and behaviourally healthy fish tank animals.

(2) Every aquarium, through proper infrastructure, appropriate housing in compliance with the directions and guidelines issued by the State Board provide a naturalistic environment for the fish tank animals.

(3) Every aquarium shall regulate the movement of visitors in such a manner that the fish tank animals are not unduly disturbed, stressed or provoked and the aquarium shall be closed at least one day in a week.

(4) Every aquarium, as a safe-guard against access to unregulated visitors and fish tank animals being subject to provocation, and pilferage, shall design appropriate barrier along the fish tanks and shall have on display appropriate signage discouraging visitors from approaching the fish tanks at close proximity or from tapping or touching the fish tank.

(5) Every species shall be accommodated in a way in which they are able to swim freely.

(6) Whenever an aquarium decides to accept confiscated fish tank animals for housing, a detailed report regarding the source from which the animal has been received, legality of its acquisition, facilities available at the aquarium for its housing, upkeep and healthcare shall be sent to the State Board.

14. Veterinary and infrastructure facilities.— (1) Every aquarium shall –

(a) have a fisheries veterinarian or a fisheries expert employed full time for the purpose of overseeing the health care of all the fish tank animals in its collection;

(b) have appropriate facilities for a treatment room.

(2) Every aquarium shall have an isolation room with fish tanks constructed or installed for the purpose of quarantining sick, injured or confiscated fish tank animals for the duration of their treatment and recovery.

(3) Every aquarium operator shall provide each aquarium with support staff for its fisheries expert as required.

(4) Every aquarium shall be associated with the local Fisheries Department, eminent institutions and organisations working in the field of fisheries, with objectives to provide for –

(a) the assistance in scientific diagnosis of diseases of serious nature and advice on effective remedial treatment;

(b) the training and upgrading technical skills of fish tank animal handlers; and

(c) the development of protocols for quarantine and for preventive measures to contain outbreak of diseases.

15. Maintenance of records and inventory.— (1) Every aquarium shall maintain a record of the acquisitions, deaths and disposals of each species of fish in its collection in the manner and in the format determined by the State Board.

(2) Every aquarium shall maintain a feed register and a health register in the manner and format specified by the State Board.

16. Education and outreach activities.— No physical handling or performances by fish tank animals shall be permitted as educational activity.

17. Non-compliance of rules by aquarium.— (1) If any violation of the requirements of these rules is discovered during an inspection of an aquarium by the State Board or representative of the State Board, the State Board shall issue a notice to the aquarium to show cause within fifteen days after receipt of the notice, why the aquarium should not be de-registered.

(2) The State Board shall, if it is not satisfied with the response of the aquarium, or if no response is received, de-register the aquarium and communicate the reasons thereof in writing to the aquarium operator:

Provided that if the aquarium removes or rectifies the violation within thirty days of the receipt of notice, after communicating to the State Board within the period specified in sub-rule (1) that he shall be doing so, and demonstrates the same to the satisfaction of the State Board, the registration shall not be revoked:

Provided further that if the aquarium fails to remove or rectify the violation within the period so specified, the registration shall be revoked.

(3) The aquarium, the registration of which has been revoked, shall not be sealed by the local authority –

(a) until the period for making appeal against such revocation, mentioned in rule 32, has expired; and

(b) in case where an appeal has been preferred and is pending, until the disposal of the appeal.

(4) Where the appeal has been rejected, the local authority shall seal the aquarium, upon the recommendation of the State Board and confiscate all the fish tank animals in its possession and the fish tank animals so confiscated shall be handed over to a registered aquarium or released in an area natural to their habitat.

(5) If an aquarium is found to be keeping for public display any fish tank animals or operating a facility without a valid certificate of registration, the State Board shall recommend to the local authority to seal the aquarium, and confiscate the fish tank animals displayed and the fish tank animals so confiscated shall then be dealt with in the manner set out in sub-rule (4):

Provided that if the aquarium operator gives an undertaking at the time of inspection or inquiry that he shall apply for registration within seven days in accordance with these rules, then, the aquarium shall not be sealed till the disposal of his application.

PART III

TRADE

18. Prohibition on trade of fish tank animals.— (1) No fish shop shall function without a certificate of registration from the State Board.

(2) No fish shop shall keep, house, display or trade in –

(a) any species of cetaceans, penguins, otters, manatees or sea or marine turtles; artificially coloured fish; any species of fish tank animals listed in the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or any species listed under the Appendix I of the Convention of International Trade in Endangered Species; or

(b) any species listed in the Second Schedule.

(3) No fish shop shall trade in animals other than fish tank animals.

(4) No fish shop shall trade in fish tank animals covered with fungus, with sunken bellies, sunken eyes, clamped or unhealthy fins, labored breathing (often with gill covers quite extended), and fish with external blemishes resulting from parasites or disease.

19. Prohibition on operating fish shop without registration.— No fish shop shall–

(a) carry on or continue the business of trade in fish tank animals; or

(b) establish or operate a fish shop, or any other establishment engaged in trade of fish tank animals by whatever name called, without obtaining a certificate of registration in accordance with these rules:

Provided that any person operating a fish shop on the date of the commencement of these rules shall, within three months of such commencement, obtain a certificate of registration of fish shop under these rules:

Provided further that if a person referred to in the first proviso fails to apply for the registration within specified period or is refused the registration for any reason specified in these rules, then the State Board shall recommend to the local authority to seal the shop, and confiscate the fish tank animals displayed or housed for trade and the fish tank animals so confiscated shall be handed over to a registered aquarium.

20. Registration of fish shop.— (1) A person shall not be eligible for registration of fish shop under these rules, unless –

(a) in the case of an individual, he has attained the age of majority and is of sound mind and is not disqualified from contracting under any law for the time being in force; and

(b) in any other case, the person is a corporation, company or other association of persons duly registered in accordance with any law for the time being in force.

(2) An application for registration of fish shop shall be made to the State Board in Form III appended to the First Schedule providing all information required therein and accompanied with required documents, referred to in rule 23, and a non-refundable fee of five thousand rupees.

(3) A person shall be required to make separate applications for every fish shop or premises being used or intended to be used for carrying on or continuing the business of trade in fish tank animals.

(4) The State Board shall, on receipt of an application for registration of fish shop under sub-rule (2), cause the fish shop to be inspected by a team comprising of a representative of the local authority, an authorised representative of the State Board and a fisheries expert.

(5) The team referred to in sub-rule (4) shall after conducting an inspection submit to the State Board a report signed by all the members of the team.

- (6) The State Board may, after considering the report of the team submitted under sub-rule(5) and on being satisfied that the fish shop is in compliance with the requirements specified under these rules, grant registration to the fish shop.
- (7) The State Board shall not grant registration to the fish shop, if –
- (a) the requirements set out under rules 18 and 19 are not met; or
 - (b) the information submitted by the applicant has been found to be false or the applicant has made material and deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the State Board; or
 - (c) the applicant has, at any stage prior to submission of his application for registration of fish shop, been convicted of any offence under the Act, or the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force; or
 - (d) the applicant has refused to allow the inspector or the representative of the State Board, free and unimpeded access to his facilities; or
 - (e) the applicant was operating a fish shop without a valid certificate of registration, and failed to apply for the same resulting in confiscation of the fish tank animals, and sealing of his shop by the local authority on the recommendation of the State Board and the fish tank animals so confiscated shall be sent to a registered aquarium.
- (8) Where the State Board does not grant the registration to fish shop, the State Board shall inform the applicant in writing the reasons thereof.
- (9) The State Board may, on receipt of the application for registration of fish shop, after making such inquiry as the State Board considers necessary-
- (a) issue a certificate of registration to the applicant in respect of that fish shop; and
 - (b) cause the details of the fish shop to be entered into a register maintained for the purpose of record.
- (10) A certificate of registration issued by the State Board shall be valid for a period of two year, and may be renewed upon an application being made to the State Board together with a fee of five thousand rupees.
- (11) A certificate of registration issued under these rules shall be non-transferable.
- (12) Every fish shop shall prominently display its certificate of registration in the fish shop and every fish shop shall display on a board, the species of fish kept in the fish shop whether or not they are offered for sale.
- (13) Every fish shop owner shall maintain complete record of the source of purchase of the fish that is brought to the shop and the price at which it was purchased.
- (14) Every fish shop owner shall keep his premises open for inspection by the State Board or the local authority.
- 21. Renewal of registration.**— An application for renewal of registration of fish shop shall be made, at least sixty days prior to the expiry of the registration, to the State Board in Form IV appended to the First Schedule, and the procedure shall be in accordance with rule 20.
- 22. Fee for application for registration of fish shop.**— There shall be paid in respect of every application for registration of the fish shop made under rule 20, a fee of five thousand rupees to be paid through demand draft or postal order in favour of “State Animal Welfare Board”.
- 23. Documents and particulars required with application for registration of fish shop.**— Every application under rule 20 shall be accompanied by the fee specified under rule 22 and shall contain the particulars specified in Form III and the following documents, namely:-
- (a) a no-objection certificate from the local Fisheries Department; and
 - (b) a no-objection certificate from the local authority.
- 24. Power to make inquiries and call for information.**— The State Board, after granting registration of the fish shop under these rules, may make such inquiries and ask for from the applicant such further information, as it considers necessary.
- 25. Maintenance of records and inventory.**— (1) Every fish shop shall maintain a record of the acquisitions, deaths and disposals of each species of fish in its collection in the manner and in the format determined by the State Board.
- (2) Every fish shop shall maintain a feed register and a health register in the manner and format specified by the State Board.

(3) Every fish shop shall maintain an inventory, consisting of the information as to the total number of fish tank animals traded during the previous year, in a manner and in the format specified by the State Board.

26. Non-compliance with rules.— (1) The State Board may, upon receipt of a written complaint or otherwise, inquire into or get the complaint inquired into by the local authority or Society for Prevention of Cruelty to Animals through an inspector in order to establish the non-compliance of these rules by the fish shop owner.

(2) If during the course of such inquiry or any inspection, a fish tank animal is suspected to be sick or experiencing any kind of distress, the inspector or any person authorised by the State Board, may –

(a) require the fish shop owner to forthwith provide medical or other care to the fish tank animal; or

(b) confiscate the fish tank animal, and remove it for treatment and care to a registered aquarium, after recording in writing the reason why such action is necessitated, and giving a copy of the reasons so recorded to the fish shop owner.

(3) The expenses incurred for treating and attending to the fish tank animal under sub-rule (2) shall be borne by the fish shop owner, and the aquarium, referred to in sub-rule (2), shall return the fish tank animal to the fish shop owner after the fish tank animal has recovered fully, and the expenses for its treatment and the care provided has been reimbursed to the said aquarium.

(4) The fish shop owner shall not, in the event of removal of a sick or otherwise distressed fish tank animal under this rule, be entitled to claim any compensation whatsoever, from the local authority or the State Board or the aforesaid aquarium.

(5) If a fish shop owner is found to be operating a fish shop without a valid certificate of registration, the State Board may recommend the local authority to seal the shop, and confiscate the fish tank animals in its possession and the fish tank animals so confiscated shall be handed over to a registered aquarium.

(6) If any other violation of the requirements of these rules is discovered during an inspection of a fish shop by the inspector, State Board shall issue a notice to the fish shop owner, with a copy to the local authority to show cause within fifteen days of receipt of the notice, why his registration be not cancelled.

(7) The State Board may, if it is not satisfied with the response of the fish shop owner, or if no response is received, cancel the registration and communicate the reasons thereof in writing to the fish shop owner.

(8) The fish shop, the registration of which has been revoked, shall not be sealed by the local authority –

(a) until the period for making appeal against such revocation, mentioned in rule 32, has expired; and

(b) in case where an appeal has been preferred and is pending, until the disposal of the appeal.

(9) Where the appeal has been rejected, the State Board may recommend to the local authority to seal the shop, and confiscate the fish tank animals displayed or housed for trade and the confiscated fish tank animals shall then be dealt with in the manner set out in sub-rule (5).

27. Inspection of establishment.— (1) The State Board may, either upon receipt of a complaint or for any other reason, cause any fish shop to be inspected by the local authority or Society for Prevention of Cruelty to Animals through an inspector.

(2) The inspector shall, on producing his authority, have power to –

(a) enter into the fish shop at any reasonable time and access to all areas within the premises and all fish tank animals, and records, to ascertain whether the requirements of these rules are being complied with;

(b) take pictures, record videos, and make copies of the records;

(3) A fish shop registered under these rules shall be inspected at least once each year.

(4) The inspector shall submit to the State Board a report in writing of the inspection.

(5) If the State Board, after considering the report referred to in sub-rule (4) is of the opinion that any requirements of these rules are contravened by the fish shop owner, the State Board may, after giving a copy of the report to the fish shop owner and an opportunity to show cause, cancel the registration of the fish shop and communicate it the reasons thereof in writing.

28. Effect of death of owner of fish shop registered and of change of premises.— (1) In the case the owner of a fish shop registered under these rules, dies before the expiry of the period of registration, the registration in respect of the fish shop shall be deemed to have been granted to his legal heirs in respect of that fish shop and shall remain valid for a period of three months from the date of death of the owner.

(2) In the case of change of premises of the fish shop, the fish shop owner shall communicate the change prior to moving the shop, to the State Board for its approval.

PART IV**GENERAL PROVISIONS FOR AQUARIUMS AND FISH SHOPS**

29. Fish tank animal housing and display.— (1) No fish tank animal shall be kept, housed or displayed in a fish tank that is not in accordance with the standards specified in these rules and in compliance with the guidelines published by the Board.

(2) The designs and dimensions of the fish tanks shall determine the number and species of fish that can be housed in the fish tank and the fish tank animals shall be housed in fish tanks as per directives and guidelines published by the Board.

(3) The aquarium and fish shop shall ensure that the fish tanks are safe and secure for the fish tank animals, the caretakers and the visitors.

(4) No aquarium and fish shop shall house together two or more species of fish tank animals that are not compatible with each other.

(5) Every aquarium and fish shop shall make special efforts to enrich the environment in the fish tanks to match the specific natural environment of the species of fish housed in that fish tank.

(6) Every aquarium and fish shop shall ensure that the quality of the water in the fish tanks is maintained at all times and is within the permitted range of salinity, pH, hardness and temperature specified so as to meet the health and welfare needs of the fish tank animals.

(7) No aquarium or fish shop shall display or sell –

(a) bowls for keeping fish tank animals; or

(b) fish tanks with a capacity of less than 13 gallons or 60 litres of water for keeping fish tank animals.

(8) Every aquarium and fish shop shall ensure compliance with the directives and guidelines published by the Board, with regard to fish tanks for all fish tank animals having the following minimum requirement, namely:-

(a) for freshwater fish, tanks must have at least one gallon or 4.55 litres of water for every inch or 2.54 cms. of total fish length, the volume refers to the amount of water in the tank and does not include the volume of rocks, ornaments, or air that may also take up volume in tank;

(b) for marine fish, tanks must have at least four gallons or 18 litres of water for every inch or 2.54 cms. of total fish length during the first four months, and at least two gallons 9 litres of water for every inch or 2.54 cms. of total fish length thereafter, the volume of which refers to the amount of water in the tank and does not include the volume of rocks, ornaments, or air that may also take up volume in the tank;

(c) each tank shall have a water surface area of at least –

(i) 12 square inches for every inch or 78 sq.cm. for every cm. of total fish length, in the case of tropical freshwater fish;

(ii) 30 square inch for every inch or 194 sq.cm. for every cm. of total fish length, in the case of coldwater freshwater fish;

(iii) 48 square inches for every inch or 310 sq.cm. for every cm. of total fish length, in the case of tropical marine fish;

(d) water oxygenation must remain above 80% and oxygenation is regularly measured and adjusted when levels fall below 80% by decreasing stocking density, partly replacing water volume, increasing aeration, or correcting improperly functioning heater, filter, or air stone;

(e) about 10% of the water in the tank is replaced weekly and regular or partial replacement of water volume and the use of devices to create water movement is used to improve water quality and water flow is appropriate to enable fishes to swim correctly and to maintain normal behavior;

(f) salinity and pH levels are tested at least weekly and after water changes;

(g) nitrate levels is tested at least weekly, and ammonia and nitrite levels are tested daily for three days after new fish tank animals are added to a tank, and weekly thereafter;

(h) tanks are cleaned and vacuumed regularly, at least once a month and whenever tanks become unclean;

(i) newly manufactured tanks require a conditioning and depuration period to flush out solvents before they are filled with water for fish tank animals;

(j) filters are checked weekly and cleaned or replaced as necessary;

- (k) frothy, cloudy, yellowing, and smelly water are all signs of deteriorating conditions;
- (l) suitable filters are used;
- (m) tanks are having smooth, inert, sealed interior surfaces and wood are not used as a tank material in contact with system water as it is a porous material that may contain toxic elements (in particular, pressure treatment of glue in plywood), as it is subject to rot, and requires the use of sealants, which can be toxic and vinyl tanks are only suitable for temporary holding as the plasticisers can be toxic and vinyl often contains contaminants;
- (n) tanks are equipped with a covering, such as tank nets or rigid covering, which prevents fish tank animals from jumping out of the tank;
- (o) the height between the water surface and lid is such that minimises the risk of damage to the fish tank animals if they jump and lids must allow visual access to the fish tank animals, either by being transparent or by being removable or partially removable;
- (p) all warm water aquariums have an aquarium heater and thermometer and all salt-water aquariums have an ultraviolet steriliser to reduce the population of free-floating pathogens in the aquarium;
- (q) electrical components and equipment are located outside the splash zone, unless safely designed to be submersible, and housed in moisture-proof enclosures and electrical fixtures are secured with gaskets to prevent incursion of water, and located above pipe runs;
- (r) tank support is properly designed, strong, sturdy and durable, with transfer of weight to the floor structure taken into account, so as to prevent any danger of catastrophic collapse;
- (s) the suitable species of plants are only used in a tank;
- (t) no tank contains any metals or materials which can corrode or any rocks which can change the water chemistry, such as limestone, marble, dolomite, or calcareous sandstones which make water hard and alkaline; and
- (u) fish tanks or aquariums are not placed in the following locations, namely:-
 - (i) in direct sunlight or near radiators;
 - (ii) in a place where there is always light, or where it is always dark;
 - (iii) in a place where rainwater can enter the tank;
 - (iv) in a place of extreme cold or extreme heat;
 - (v) in a place where there can be fluctuation of temperatures, such as, near air conditioning units, ventilation units, open fires, kitchens, cooking areas, windows and doors as all these can cause drastic changes of temperature in the tanks; or
 - (vi) in a place where there will be constant vibrations from traffic or movement of large numbers of people.

30. Facilities.— Every aquarium and fish shop shall ensure that—

- (a) aquatic environments are designed to meet the established physical and behavioural requirements of the fish tank animals in terms of shelter, social grouping, overhead cover and lighting;
- (b) machinery that produces noise and vibration are isolated from areas housing fish tank animals;
- (c) lighting are appropriate to the species and turned on and off gradually with a dimmer and turned off at night and incandescent lights give off heat and should therefore be on a schedule of 12 hours off;
- (d) there is an emergency contingency capacity, capable of maintaining aerated and filtered water and assuring the continuation of life support and the basic requirements are complied with;
- (e) it has adequate water supply of suitable quality and adequate filtration within the system to remove suspended solids and wastes and to ensure that water quality parameters are maintained within acceptable levels for species-specific requirements;
- (f) measures such as a carbon filtering system of a reverse osmosis system, activated charcoal (for large volume systems) and sodium thiosulfate (for smaller systems) treatments are used to protect fish from contaminants in the water supply;

- (g) if fresh or seawater is drawn from an open body of water or a municipal source, it is tested for, and treated to remove, contaminants and pathogens;
- (h) a comprehensive analysis of the water quality parameters (ions, pH, metals, etc.) is approved by the Board and testing is conducted on annual basis;
- (i) if well water is to be used in the facility, a pressure drop test is conducted to ensure that the supply is adequate and reliable and the water is not depleted of oxygen or having high levels of metal ions, carbon dioxide, nitrogen, ammonia and other gases, or excessively high or low alkalinity;
- (j) water supply and drain lines to and from the tanks are secure, protected from disruption and should consist of hard, permanently fixed pipes to prevent air locks, fouling and all lines are prominently labeled and designed to facilitate cleaning by simple, low technology methods;
- (k) pressure gauges and flow meters are installed at points throughout the system to monitor the condition of the lines and the performance of the pumps and filters;
- (l) polyvinyl chloride pipes and other materials meet human drinking water standards and adequately flushed to eliminate acetone, methylethylketones, and tetrahydrofurans that are released following gluing;
- (m) the main drains are over-sized handle large flow of water and gutters have covers that are flush with the floor and that permit water to drain quickly;
- (o) drains and gutters are designed to self-clean under normal flow, and to permit the use of a cleaning pig to remove any build-up of waste in the lines and where feasible, drains on all tanks are fitted with traps and easily accessible clean-out ports;
- (p) if the effluent from the facility is untreated, it is discharged in a location that is remote from the system intake, so as to minimise the chances of effluent recirculation in the system and the discharge location does not have any negative impact on wild aquatic organisms in the water body;
- (q) if the effluent is discharged into the municipal sewer it is essential that potentially noxious materials in the effluents, for example disinfectants, are diluted to non-toxic concentrations before the effluent is discharged into the sewer;
- (r) all compressors providing gases to the system have devices to remove moisture, and oil traps to prevent any oil leaks from entering the fish tanks and food-grade lubricants are used as far as possible, and intakes to compressors are located in way that allow use of only clean air, free of engine exhaust, tobacco smoke or other airborne contaminants;
- (s) there is a dedicated separate quarantine areas for the isolation of new fish tank animals and foot and hand cleaning stations with basic sanitary measures so as to prevent the introduction and spread of aquatic animal pathogens;
- (t) all materials used in the construction of facilities including paints, fiberglass surfaces, insulating materials, aerosols, air ducts and wood preservatives, are non-toxic and resistant to corrosion and water damage, and pipes, fittings, and valves do not contain copper, nickel, brass, zinc or galvanising treatments which can result in toxic concentrations of heavy metals;
- (u) if any potentially toxic material is required to be used in construction, including materials which may release ions, chemicals, or corrosion by-products from their surfaces, prior approval is obtained from the State Board;
- (v) all metal and concrete use in construction are sealed or inert and if silicone sealant is used, it is labeled as being suitable for use in aquaria and it should allow to cure to release any volatile toxins.

31. Upkeep and healthcare.— (1) Every aquarium and fish shop shall provide all fish tank animals in its collection timely supply of quality food of such composition and in such quantities that nutritional and behavioural requirement of every fish tank animal is fully met and adequate safeguards shall be taken to ensure that no fish tank animal shall remain under-nourished.

(2) Every aquarium operator and fish shop owner shall ensure that the left over feed material, excreta of the fish tank animals and all other wastes are promptly removed from the fish tanks.

(3) The fisheries expert and fish tank animal handlers shall keep a close watch on the general behaviour and health parameters of the fish tank animals and the fish tank animals shall be handled by the handlers having experience and training in handling the individual fish tank animals.

(4) Any fish tank animal that shows any signs of dullness, loss of appetite, injury, or abnormal behaviour shall be thoroughly assessed and provided medical attention promptly.

- (5) Every aquarium and fish shop shall maintain records of health status of the fish tank animals including feed intake, medication and treatment.
- (6) Every fish tank shall meet the following requirements, namely:-
- (a) the length of a tank shall be not less than five times the length of the longest fish in the tank, calculated at the length of a full-grown adult;
 - (b) tank water volume shall be not less than 13 gallons or 60 litres.
- (7) Every aquarium and fish shop shall comply with the standards of upkeep and health care as specified by the Board from time to time.
- 32. Appeal.**— (1) Any aquarium or fish shop aggrieved by the decision of the State Board may, within thirty days of receipt of the decision, prefer an appeal to the Secretary, Animal Husbandry Department.
- (2) The Secretary, Animal Husbandry Department shall, after giving notice to the aquarium or fish shop and the State Board, and giving an opportunity of hearing to the parties, either reject or allow the appeal, for the reasons to be recorded in writing and communicated to the aquarium or fish shop and the State Board.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 2(j)]

FORM I

[See rule 9]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF AQUARIUM

To,

State Animal Welfare Board

_____ (State)

_____ (City)

Subject: Application for grant of registration of aquarium.

Sir,

I/We ----- r/o----- with office address -----
-----, do hereby apply for registration of aquarium for keeping for display fish tank animals in accordance with the particulars set out below:—

- (1) Name and address of facility of the aquarium:
- (2) Name and address of aquarium operator(s):
- (3) Telephone number:
- (4) Details of accommodation and infrastructure available at proposed aquarium:
- (5) Number of staff/employees
- (6) Working hours and rest day, i.e. day on which facility shall remain closed:
- (7) Fee for entry or whether entry is free:
- (8) Ventilation arrangement:
- (9) Lighting arrangement:
- (10) Heating or cooling arrangement, and manner in which comfortable temperature will be maintained for all fish tank animals:
- (11) Arrangements for food storage:
- (12) Cleanliness, how proposed to be maintained, and arrangements for removal of fish tank animal excreta and waste:
- (13) Arrangement for disposal of fish tank animals that die:
- (14) Arrangement for medical support:

- (15) Details of fish tank animals proposed to be displayed or housed in the Aquarium:

SPECIES OF FISH TANK ANIMALS:

NUMBER OF EACH SPECIES OF FISH TANK ANIMAL:

NUMBER AND SIZE OF FISH TANKS:

- (16) Details of cheque or demand draft number for payment of fee:

Documents attached herewith:

Blue Print of aquarium facility: YES/NO

Collection plan: YES/NO

No Objection Certificate

[Local Fisheries Department] - YES/NO

No Objection Certificate

[National Coastal Zone Management

Authority] - YES/NO

I/We do hereby declare that the information provided by us is true and accurate.

Signature of Applicant

Place:

Date :

FORM II

[See rule 12(1)]

APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF AQUARIUM

To

State Animal Welfare Board

_____ (State)

_____ (City)

Subject: Application for renewal of registration of aquarium.

Sir,

I/We ----- r/o ----- with office address -----
-----, do hereby apply for renewal of registration of aquarium for keeping
for display fish tank animals in accordance with the particulars set out below:—

- (1) Name and address of facility of the aquarium:
- (2) Name and address of aquarium operator(s):
- (3) Telephone number:
- (4) Details of accommodation and infrastructure at aquarium:
- (5) Working hours and rest day, i.e. day on which aquarium shall remain closed:
- (6) Number and names of employees:
- (7) Fee for entry or whether entry is free:

- (8) Ventilation arrangement:
- (9) Lighting arrangement:
- (10) Heating or cooling arrangement, and manner in which comfortable temperature will be maintained for all fish tank animals:
- (11) Arrangements for food storage:
- (12) Cleanliness, how proposed to be maintained, and arrangements for removal of fish tank animal excreta and waste:
- (13) Arrangement for disposal of fish tank animals that die:
- (14) Arrangement for medical and veterinary support:
- (15) Details of fish tank animals proposed to be displayed or houses in the aquarium:

SPECIES OF FISH TANK ANIMALS:

NUMBER OF EACH SPECIES OF FISH TANK ANIMAL:

NUMBER AND SIZE OF FISH TANKS:

- (16) Details of:

MORTALITY IN EACH SPECIES OF FISH TANK ANIMALS:

CAUSE OF DEATH SPECIES-WISE:

ADDITIONAL SPECIES ACQUIRED IN THE PAST YEAR:

ADDITIONAL CONSTRUCTION/INSTALLATION OF FISH TANKS AND/OR EXPANSION OF FACILITY (attach blue print)

- (17) Details of cheque or demand draft number for payment of fee:

Documents attached herewith:

Blue Print of aquarium facility: YES/NO

Collection plan: YES/NO

Feed Register : YES/NO

Treatment Register: YES/NO

Copy of previous certificate of

recognition: YES/NO

No Objection Certificate

[Local Fisheries Department] YES/NO

No Objection Certificate

[National Coastal Zone Management

Authority] YES/NO

I/We do hereby declare that the information provided by us is true and accurate.

Signature of Applicant

Place:

Date :

FORM III

[See rules 20(3) and 23]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF FISH SHOP

To

State Animal Welfare Board

_____ (State)

_____ (City)

Subject: Application for registration of fish shop for trade in fish tank animals.

Sir,

I/We ----- r/o ----- with office address -----
 -----, do hereby apply for registration of fish shop in accordance with the
 particulars set out below:—

- (1) Name and address of the fish shop:
- (2) Telephone number:
- (3) Details of accommodation and infrastructure available at proposed fish shop:
- (4) Working hours and rest day, i.e. day on which fish shop shall remain closed:
- (5) Ventilation arrangement:
- (6) Lighting arrangement:
- (7) Heating or cooling arrangement, and manner in which comfortable temperature will be maintained for all fish tank animals:
- (8) Arrangements for food storage:
- (9) Cleanliness, how proposed to be maintained, and arrangements for removal of fish tank animal excreta and waste:
- (10) Arrangement for disposal of fish tank animals that die:
- (11) Arrangement for medical and veterinary support:
- (12) Details of fish tank animals proposed to be sold in the fish shop:
 - (A) SPECIES AND BREEDS OF FISH TANK ANIMALS:
 - (B) NUMBER OF EACH SPECIES AND BREED OF FISH TANK ANIMAL:
 - (C) ACCOMMODATION NUMBER AND SIZE OF TANK:
- (13) Details of cheque or demand draft number for payment of fee:
- (14) Details of:
 - (i) MORTALITY IN EACH SPECIES OF FISH TANK ANIMALS:
 - (ii) CAUSE OF DEATH SPECIES-WISE:
 - (iii) ADDITIONAL SPECIES ACQUIRED IN THE PAST YEAR:
 - (iv) ADDITIONAL CONSTRUCTION/INSTALLATION OF FISH TANKS AND/OR EXPANSION OF FACILITY (attach blue print)

I/We do hereby declare that the information provided by us is accurate and true.

Documents attached herewith:

No Objection Certificate [Local Authority]: YES/NO

Signature of Applicant

Place:

Date :

FORM IV

[See rule 21]

APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF FISH SHOP

To

State Animal Welfare Board

_____ (State)

_____ (City)

Subject: Application for renewal of the fish shop registration.

Sir,

I/We ----- r/o ----- with office address -----
-----, do hereby apply for renewal of the registration of fish shop, which is
attached herewith, to continue operating a fish shop for sale of fish tank animals in accordance with the particulars set out
below:—

- (1) Name and address of the fish shop:
- (2) Telephone number:
- (3) Any variation(s) as against the original application for renewal:
- (4) Details of fish tank animals housed in the facility for sale:
 - (A) SPECIES AND BREEDS OF FISH TANK ANIMALS:
 - (B) NUMBER OF EACH SPECIES AND BREED OF FISH TANK ANIMAL:
 - (C) ACCOMMODATION NUMBER AND SIZE OF TANK/AQUARIUM:
- (5) Details of:
 - (i) MORTALITY IN EACH SPECIES OF FISH TANK ANIMALS:
 - (ii) CAUSE OF DEATH SPECIES-WISE:
 - (iii) ADDITIONAL SPECIES ACQUIRED IN THE PAST YEAR:
 - (iv) ADDITIONAL CONSTRUCTION/INSTALLATION OF FISH TANKS AND/OR EXPANSION OF FACILITY (attach blue print)
- (6) Details of cheque or demand draft number for payment of fee:

I/We do hereby declare that the information provided by us is accurate and true.

Documents attached herewith:

No Objection Certificate [Local Authority]: YES/NO

Signature of Applicant

Place:

Date :

THE SECOND SCHEDULE

[See rules 4(2)(b) and 18 (2)(b)]

It is prohibited to keep or sell the following species, namely:--

COMMON NAME**SCIENTIFIC NAME****Cetaceans:**

All species of cetaceans

Penguins:

All species of penguins

Otters:

All species of otters

Manatees:

All species of manatees

Sea/Marine Turtles:

All species of sea turtles

Butterfly Fish:

Copperband Butterfly	Chelmon rostratus
Marginalis Butterfly	Chelmon marginalis
Larvatus Butterfly	Chaetodon larvatus
Saddle Butterfly	Chaetodon ehippium
Myer's Butterfly	Chaetodon myeri
Pearlscale Butterfly	Chaetodon xanthurus
Mertensil Butterfly	Chaetodon mertensii
Facula Butterfly	Chaetodon facula
Black Back Butterfly	Chaetodon melannotus
Blue Spot Butterfly	Chaetodon plebius
Blue Stripe Butterfly	Chaetodon fremblii
Burgessi Butterfly	Chaetodon burgessi
Dot-Dash Butterfly	Chaetodon punctatofasciatus
Double Saddly	Chaetodon ulietensis
Falicifer Butterfly	Chaetodon falicifer
Foureye Butterfly	Chaetodon capistratus
Fourspot Butterfly	Chaetodon quadrimaculatus
Coradion Butterfly	coradion altivlis
Goldenstripe Butterfly	chaetodon aureofasciatus
Gunther's Butterfly	chaetodon guentheri
Latticed Butterfly	chaetodon rafflesi
Lined Butterfly	chaetodon lineolatus
Melon Butterfly	chaetodon trifasciatus
Mitratus Butterfly	chaetodon mitratns
Mulleri Butterfly	chelmon mulleri
Ocellated Butterfly	parachaetodon ocellatus

Ornate Butterfly	chaetodon ornatissimus
Painter Reef Butterfly	chaetodon sedentarius
Pakistan Butterfly	chaetodon collare
Paucifasciatus	chaetodon paucifasciatus
Raccoon Butterfly	chaetodon lunula
Rainfordi Butterfly	chaetodon rainfordi
Reticulated Butterfly	chaetodon reticulatus
Semion Butterfly	chaetodon semeion
Speculum Butterfly	chaetodon speculum
Spot-fin Butterfly	chaetodon ocellatus
Spot-Tail Butterfly	chaetodon ocellicaudus
Spotted Butterfly	chaetodon guttatissimus
Teardrop Butterfly	chaetodon unimaculatus
Triangle Butterfly	chaetodon baronessa
Truncates Butterfly	chaetodon truncates
Yellowhead Butterfly	chaetodon xanthocephalus
Yellownose Butterfly	chaetodon flavirostris
Moorish idol	zanclus canescens
Branded butterfly fish	chaetodon striatus
Atlantic long-nosed butterfly fish	chaetodon aculeatus

Angel fish:

Heraldi Angel	centropyge heraldi
Flame Angel	centropyge loriculus
Lemonpeel Angel	centropyge flavissimus
Bicolor Angel	centropyge bicolor
Multi-color Angel fish	centropyge multicolor
Golden Angel fish	centropyge aurantia
Shepardi Angel	centropyge shepardi
Passer Angel	holocanthus passer
Rock Beauty Angel	holocanthus tricolor
Clarion Angel	holocanthus clarionensis
Conspiculatus Angel	chaetofontoplus
Conspiculatus	apolemichthys
Goldflak Angelfish	Xanthopunctatus
Flagfin Angel	apolemichthys trimaculatus
Regal Angel fish	Pyogplites diacanthus
Emperor Angelfish	Pomacanthus imperator

Filefish and triggers:

Orange-sport Filefish	Oxynonacanthus longirostris
Undulate Triggerfish	Balistapus undulates
Queen Triggerfish	Balistes vetula

Clownfish, Damsels	Chromis, Pseudochromis:
Red Saddle Clownfish	Amphiprion ephippium
Latezonatus Clownfish	Amphiprion latezonatus
White Cap Clownfish	Amphiprion leucokranos
Maroon Clownfish	Premnas biaculeatus
Jewel Damsel	Microspathodon chrysurus
Neon Velvet Damsel	Paraglyphidodon oxyodan
Garibaldi damselfish	Hypsypops rubicundus
Batfish:	
Pinnatus Batfish	Platax pinnatus
Tiera Batfish	Platax tiera
Eels:	
Ribbon Eels	Rhinomuraena quaesita
Ghost Ribbon Eel	Uropterygius concolor
Banded Snake Eel	Myrichthys colubrinus
Leopard Snake Eel	Myrichthys maculosus
All other so-called snake Eels:	
Garden Eel	Taenioconger hassi
Wrasses:	
Christmas wrasses	Halochoeres species
Anampses wrasses	Anampses species
Leopard wrasse	Macropharyngodon Meleagris
All other Macropharyngodon wrasses:	
Orange-line wrassen	Stethojulis balteata
Most Pencil wrasses	Hologymnosus species
Laboute Fairy wrasse	Cirrhilabrus labouti
All cleaner (labroids and other species) wrasses:	
False Cleaner wrasse	Aspidontus taeniatus
Lunare wrasse	Thalassoma lunare
Blennies, Dragonettes and Gobies:	
Mandarin Dragonette	Pterosynchiropus splendidus
Target Dragonette	Synchiropus picturatus
Scooter Dragonette	Synchiropus species
Parrot fish:	
Parrotfish	Scarus species
Parrotfish	Cetoscarus species
Parrotfish	Cirrhilabrus species
Anthias (fairy nasslets):	
Creole Anthias	Paranthias species
Blue Diamond Anthias:	
Hawaiian Anthias	Miroabrichthys bicolor

Purple Queen Anthias	Mirolabrichthys tuka
Queen tiger Anthias	Mirolabrichthys imeldae
Female Squareback	Pseudanthias pleurataenia

Basslets, groupers, grunts (sweetlips):

Clown sweetlips	plectorhincus chaetonoides
Macolor Niger Grunt	macolor niger
Oriental Sweetlips	plectorhinchus lineatus
Striped Sweetlips	plectorhinchus diagrammus

Tangs:

Achilles tang	Acanthurus Achilles
Powder Blue Tang	Acanthurus teucosternon
Powder Brown Tang	Acanthurus japonicas
Clown Tang	Acanthurus lineatus
Chevron Tang	ctenochaetus hawaiiensis
Shoal Tang	Acanthurus shoal

Lionfish, Anglers and Scorpionfish:

Fu Manchu Lionfish	Dendrochirus biocellus
Zebra Dwarf Lionfish	Dendrachirus zebra
Volitan (Peacock) lion	Pterois volitans
Antennata Lionfish	Pterois antennata
Radiate Lionfish	Pterois radiate
Fuzzy Dwarf Lionfish	Dendrochirus brachypterus
Sphex Lionfish	Pterois sphex
Miles Lionfish	Pterois miles
Stonefish	Syanceia species
Sculpins	Scorpaenopsis species
Leaffish	Taenianotus tricanthus
Rhino scorpionfish	Rhinopias frondosa
Angler Fish	Antennarius species
Threadfin Anglerfish	Nemanthias carberryi
Sea Gobblins	Prionotus carolinus

Seahorses and pipefish:

Seahorses	Hippocampus species
Sea Dragon	Phycodurus eques
Sea Dragon	Phyllopteryx taeniolatus
Pipefish	Corythoichthys species
Pipefish	Doryrhamphus species
Pipefish	Syngnathoides species
Trumpetfish species	Aulostomus species

Sharks, skates and Rays:

All sharks, skates, Rays and saw fish	Chondrichthyes
Remora	Echeneis nancrates

Boxfish and Cowfish (Trunk fish):

Blue Boxfish	Ostracion melegris (male)
Black Boxfish	Ostracion melegris (female)
Scribbled Boxfish	Ostracion solorensis (male)
Scribbled Boxfish	Ostracion solorenses (female)

Other fish Species:

Shrimp (Razor)fish	Seoliscurs strigatus
Pinecone Fish	Cleidopus gloriamaris
Pinecone Fish	Cleidopus japonicas
Flashlight fish	Photoblepharon palperbratu
Barracuda	Sphyraena barracuda

Cephalopods:

All Octopus species	Octopus species
Blue-Ring Octopus	Hapalochlaena lunulata
All Squid species	loligo and sepioteuthis sp.
All cuttlefish species	sepia and sepioloidea sp.
All Nautilus species	Nautilus and Argonauta sp.

Other Invertebrates:

Flower Sea Urchins
Indian Cone snails
Mantis shrimp
Jellyfish

[F. No. 1/1/2010-AWD (Pt)]

RAVI S. PRASAD, Jt. Secy.